ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

नवम्बर 2018

अंक 2

विषय सूची

नवम्बर 2018
अंक–2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–17

- वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण
- आधुनिक बाजार के लिए प्रतिस्पर्द्धा कानून, 2002 की समीक्षा
- संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर गहराता संकट
- भारत-भूटान सम्बन्ध एक बेहतर भविष्य की ओर
- इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि पर उठता विवाद
- संकटग्रस्थ जंगली जानवरों पर लिविंग प्लानेट रिपोर्ट
- भारत में भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18–23

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 24–29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30–38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण समितियाँ 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

चर्चा का कारण

हाल ही में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में बैंक खातों तक महिलाओं की कम पहुँच है। इसको लेकर सरकार द्वारा जहाँ चिंता व्यक्त की जा रही है वहीं इस दिशा में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए उन्हें बैंकों से जोड़ने के साथ महिलाओं को उचित ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराकर उद्यमिता संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के मदद से कारोबार शुरू कर सकें।

वित्तीय समावेशन क्या है?

आम तौर पर यह माना जाता है कि पूंजी किसी व्यक्ति के विकास में प्रोत्साहन की तरह काम करता है। वित्तीय समावेशन लोगों और अर्थव्यवस्था से जुड़ी वित्तीय मुख्यधारा के बीच कड़ी महैया कराकर वित्तीय अभाव को दूर करता है। इसके अलावा, यह कम आय समूह वाले लोगों को संगठित बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाकर उनकी संपत्तियों और अन्य संसाधनों की जरूरी परिस्थितियों में सुरक्षा करता है। वित्तीय समावेशन सरकारी प्रणाली में कर्ज की उपलब्ध ता को आसान बनाकर कमजोर समूहों को शोषण से भी बचाता है।

महिलाओं को वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों?

गौरतलब है कि विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है। वे कार्यकारी घंटों में दो-तिहाई का योगदान करती है, लेकिन उन्हें विश्व संपत्ति में सौवें से भी कम हिस्सा प्राप्त है। विश्व भर में लगभग 76 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन 1.9 अमेरिकी डॉलर या इससे कम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का भी है इसलिये यह कहा जा सकता है कि गरीबी का महिलाकरण हो गया है।

हालांकि रोजगार में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उन्हें कम वेतन मिल रहा है और उनके कार्य की परिस्थितियाँ असंतोषजनक हैं। इसको देखते हुए वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं के वित्तीय समावेशन पर बल दिया जा रहा है जिसके मूल में महिलाओं को बैंकों से ऋण व उन्हें उधमिता से जोड़ना है।

इस बात के लगातार प्रमाण मिल रहे है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं द्वारा नौकरी का विकल्प अपनाने से उनके परिवारों का रहन-सहन बेहतर हुआ है। महिलाओं द्वारा नौकरी करने से न सिर्फ उनके परिवार की वित्तीय स्थिति बेहतर हुई, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चों के मामले में सुधार देखने को मिला है।

- उचित ब्याज दर पर कर्ज की उपलब्धता से महिलाओं की उद्यमिता संबंधी क्षमता को बढ़ावा मिलता है। महिलाएं स्वयंसहायता समूहों के साथ जुड़कर माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की मदद से करोबार शुरू कर सकती हैं।
- इसके अलावा, अगर हम वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में महिला सशक्तीकरण की बात करें तो यह सिर्फ कर्ज की सुविधा भर उपलब्ध कराने का मामला नहीं है। इसका एक और पहलू बचत के लिए सुरक्षित, आसान और व्यावहारिक अवसर मुहैया कराना भी है।
- असंगठित साधनों में जेवर खरीदना (हालांकि, मुश्किल हालाता में बिक्री करने पर इसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है) और घर पर बिना किसी मकसद के नकदी रखना है। घर पर नकदी रखने से इसके ब्याज का भी नुकसान होता है और डकैती का भी खतरा बना रहता है।
- यह लैंगिक असमानता को कम कर सकता है और महिलाओं को सार्थक बचत के लिए मजबूत जमीन मुहैया कराता है। साथ ही, किसी भी तरह की आकस्मिक परिस्थिति में बीमा की सुरक्षा भी प्रदान करता है।

भारत में महिलाओं का वित्तीय समावेशन वर्तमान स्थिति

भारत में वित्तीय समावेशन को सच्चे अर्थों में रफ्तार 2005-2006 में मिली। उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना नीति में वैसे बैंकिंग प्रचलन को रेखांकित किया, जो जनता के वित्तीय समावेशन की राह में बाधा थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई तरह के सुधारों की शुरुआत की है और बैंकों से कम आय समूह वालों के बीच वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने तमाम बैंकों से इन आय समूह के लिए शून्य बैलेंश या काफी कम बैलेंश वाला नो फ्रिल बैंकिंग खाता भी मुहैया कराने को कहा है।

रिजर्व बैंक ने इस दिशा में 2006 में एक ओर अहम कदम उठाते हुए बैंकों को विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवायें मुहैया कराने के लिए बैंक मित्र और कारोबार समन्वयन को संपर्क इकाईयों के रूप में तैनात करने की अनुमति प्रदान की। बैंक मित्र मॉडल के लिए बैंक ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर सेवाओं को प्रदान करने में सफल रहे हैं। वित्त वर्ष 2007-08 में दो फंडों वित्तीय समावेशन फंड और वित्तीय समावेशन तकनीकी फंड की शुरूआत कि गई।

गौरतलब है कि 2011-17 के दौरान 15 साल के ऊपर की 77 फीसदी महिलाओं के पास बैंक खाता था। ग्लोबल फिन्डेक्श 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार इन आँकड़ों में 2011 के पश्चात् 51 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई। इस बढ़ोत्तरी की मुख्य वजह मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गई देश व्यापी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसका मकसद देश के सभी नागरिकों को

बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तानंतरण जैसे सेवाओं को जरूरी बनाता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा योजनाओं से भी जुड़ा है।

सरकारी पहल

- महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी है कि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो ताकि उनका बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव न सिर्फ ऋण के लिए हो बल्कि बचत के लिए एक सुरक्षित, आसान और व्यावहारिक अवसर भी उपलब्ध हो सके। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आधी आबादी को सरकारी सहायता देने के साथ उन्हें अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना न सिर्फ उनके निर्णय में भागीदारी को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्हें सशक्त करता है। वर्तमान में महिलाओं की उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए और देश के विकास और समृद्धि को संभव बनाने के लिए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी नीतिगत कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएं। सरकार ऋण, नेटवर्क, बाजार और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करके महिलाओं को अर्थव्यवस्था की अगली पंक्ति में लाने का प्रयास कर रही है।
- स्टार्ट अप इंडिया के तहत भारत सरकार स्टार्ट अप को प्रोत्साहित और पोषित करते हुए उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। उल्लेखनीय है कि यह जनवरी 2016 में शुरू किया गया ताकि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त किया जा सकें।
- ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को औपचारिक क्षमता और प्रशिक्षण सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती जिससे वे वित्तीय समावेशन से अनभिज्ञ हो जाती हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसी की एक अगली कड़ी स्टेप कार्यक्रम है जो महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़ने के लिए किसी बागवानी कम्प्यूटर आईटी सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्ष कर उन्हें रोजगार की अवसर उपलब्ध कराती है जिससे वे बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ सके।
- ठीक इसी तरह सरकार स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के द्वारा महिला उद्योमियों को जहाँ आर्थिक भागीदार बना रही है। वहीं उन्हें भारत के वित्तीय विकास कार्यो से भी जोड़ रही है। जिसके अंतर्गत उन्हें बैंकों से उद्यमिता के लिए ऋण भी प्रदान किया जा रहा है।
- भारत में वांछित महिला समूहों को ऋण प्रदान करके उनके वित्त समावेशन के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रीड) कार्यक्रम की शुरूआत की गई। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इच्छुक महिलाओं से ऋण उपलब्ध्‍ कराता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी महिलाओं के वित्त समावेशन के लिए उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उनके लिए आजीविका का सृजन किया जा सके। इस कार्यक्रम का शुल्क सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- हाल ही में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच की शुरूआत की गई। यह मंच महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि की आकांक्षा रखता है जो एक गतिशील भारत का सृजन करें और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनायें।
- सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ मुद्रा योजना भी महिलाओं को वित्त समावेशन में सशक्त बना रही है। यह योजना उन महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर मदद प्रदान करती है जो छोटे व्यवसाय जैसे-ब्युटीपार्लर, टेलरिंग इकाई, ट्यूशन सेंटर इत्यादि चलाना चाहती है। इसके अंतर्गत ऋण के लिए किसी प्रकार की जमानत राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तहत महिलाये तीन योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  - शिशु ऋण- इस ऋण की राशि 50000 रुपए तक सीमित है।
  - किशोर ऋण- इसके तहत ऋण राशि 50000 से 5 लाख रुपए के बीच है।
  - तरूण ऋण- इस ऋण की राशि 10 लाख रुपए है। यह ऋण उन व्यवसायों द्वारा उठाया जा सकता है। जो अच्छी तरह से स्थापित है।

महिलाओं के वित्तीय समावेशन की समक्ष चुनौतियाँ-

- सरकार द्वारा महिलाओं के वित्तयी समावेशन को लेकर सरकारी सहायता योजना और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चलाये गये कार्यक्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है। बावजूद इसके ग्लोबल फिन्डेक्श रिपोर्ट में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के भागीदारी पर चिंता व्यक्त कि गई है। दरअसल इन चिंताओं के मूल में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को लेकर आ रही चुनौतियाँ है। इन चुनौतियों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्ग देखा जा सकता है-
  - सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जनधन योजना के माध्यम से वित्त समावेशन के जो पहल शुरू की गई वह अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है। बावजूद इसके इसमें महिलाओं की भागीदारी कम है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे खातें जिरों बाइलेंस के हैं तथा इन सेवाओं की इस्तेमाल में कमी भी देखने को आयी है।
  - सरकार द्वारा बैंकों को महिलाओं और संवेदनशील वर्गों से जोड़ने के लिए बैंक मित्र की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य दूर-दराज के इलाकों में बैंक और लोगों के बीच कड़ी जोड़ना था। लेकिन बैंक मित्रों की उदासीन रवैये के कारण नतीजें अच्छे नहीं रहे। दरअसल बैंक मित्रों का इंसेंटिव और मेहनताना कम होने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था द्वारा बैंकों की पारंपरिक शाखाओं को तब्बजों दिये जाने के कारण ऐसा हुआ।
  - डाक घरों के द्वारा वित्तीय समावेशन की जो रणनीति बनाई गई थी वह काफी हद तक सफल रही लेकिन अब तक इसके मौजूदा इंस्फ्रास्ट्रैक्चर से संभावित लाभ नहीं उठाया जा सका है। दरअसल डाक घरों का मकसद जितनी सेवाएं मुहैया कराने का है उस हिसाब से उसके पास कर्मचारी नहीं हैं। इसके अलावा कुल 1.54 लाख डाक घरों में से 1.39 लाख डाकघर ग्रामीण इलाकों में है लेकिन ग्रामीण आबादी अभी भी कर्ज लेने के लिए असंगठित साधनों पर निर्भर है क्योंकि डाकघर इस तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं कराते जिसके चलते कई बार महिलायें उद्यमिता के लिए भी ऋण नहीं ले पाती हैं।

- ग्लोबल फिन्डेक्श 2017 के मुताबिक 30 फीसदी लड़कियों और महिलाओं ने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया यह साफ तौर पर लोगों के रवैये में बदलाव की तरफ इशारा करता है तथा महाजन प्रथा की मौजूदगी को दिखाता है।
- सरकार द्वारा दृश्य श्रव्य माध्यमों (दूरदर्शन आदि) से वित्तीय साक्षरता से विभिन्न कार्यक्रमों और क्रेडिट कॉउसिलिंग केन्द्रों का प्रदर्शन भी संतोष जनक नहीं रहा है जो वित्तीय समावेशन के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।
- इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में पुराने रीति-रिवाज के चलते भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन में समस्या आ रही है।
- इसके साथ ही महिलाओं का उत्पादन के साधनों तक पहुँच भी नहीं है। अपने परिवार से समर्थन अभिप्रेरणा एवं सहयोग आदि में कमी के चलते वे वित्तीय समावेशन से जुड़ पाने में अक्षम हो जाती हैं।
- पुरुष के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन ना आना महिलाओं के वित्तीय समावेशन में रूकावट पैदा करता है।

महिलाओं के वित्तीय समावेशन के अन्य उपाय

महिलाओं की वित्तीय हालातों को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा जाहिर की गयी चिंताएं पूरे विश्व के परिपेक्ष में सही साबित हुई है। दरअसल इसके मूल में वह बात है जिसके तहत महिलाओं को विश्व की आय का केवल 10वां हिस्सा प्राप्त हो पाता है जबकि उन्हें विश्व की संपत्ति में 100वें से भी कम हिस्सा प्राप्त है। भारत में तो हालात और भी बदतर है। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि महिलाएं दिनभर काम करती हैं जबकि पुरुष उनके मुकाबले कम काम करते है परंतु महिलाओं के कार्यों को अदृश्य कार्य माना जाता है और उन्हें इन कार्यो को महत्व भी नहीं दिया जाता है जबकि महिलाओं को इन कार्यो के लिए कम वेतन दिया जता है। नतीजतन उनका वित्तीय समावेशन नहीं हो पाता है। यहाँ हम कुछ वैसे नीतिगत उपायों का जिक्र कर सकते हैं जिन्हें महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा सकता है।

- महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जरूरी शिक्षा देकर उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए।
- एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10.53 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र है। इस आंगनबाड़ी कार्यक्रर्ताओं को बुनियादी बैंकिंग प्रशिक्षण देकर सरकार अपने बैंक मित्र कार्यक्रम को सफल बना सकती है।
- महिलाओं को बैंकों में खाता खुलवाने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें स्टॉल, डैक्श जैसी सुविधा उनके आस-पास के क्षेत्र में मुहैया कराई जा सकती है। इसके माध्यम से उन्हें समय-समय पर मिलने वाले कर्ज और सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है।
- इस संदर्भ में अफ्रीका का कर्ज मॉडल प्रयोग में लाया जा सकता है। जिसके तहत कर्ज लेने कि क्षमता का आकलन के लिए बुद्धि, क्षमता और चरित्रगत लक्षणों के विश्लेषण कर मनोवैज्ञानिक जाँच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- लघु उद्यमों के मालिकों (संभावित महिलाओं) को शूदखोरो की ऊंची ब्याज दरों के जाल से बचाने के लिए बैंकों के जरिये अलग-अलग तरह के ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाले कर्ज मुहैया कराने की जरूरत है। साथ ही लोगों को नए ठिकानों मसलन उद्योगों, स्वरोजगार वाले कारोबार, खुदरा कारोबार, निर्यात गतिनिविधयों आदि से जुड़ने में मदद भी किए जाने की दरकार है।
- मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लेनदेन, स्मार्ट फोन नहीं इस्तेमाल करने वाले मोबाइल यूजर्स के लिए एसएमएस बैंकिंग आदि एक क्लिक के जरिए लेनदेन को अंजाम देने और मोबाइल फोन की संभावनाओं के उपयोग में काफी मददगार हो सकते हैं।
- यह विशेष तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल की उपलब्धता के मामले में लैंगिक भेदभाव कम है। लिहाजा, यह उन महिलाओं के लिए अवसर मुहैया कराता है, जिनके लिए बैंक या एटीएम जाना मुश्किल काम है। यह खास तौर पर वैसे क्षेत्रों में और उपयोगी हो सकता है, जहां यात्रा में एक दिन का समय या पूरी मजदूरी लग जाती है।
- ग्रामीण महिलाओं को इस तरह के नवोन्मेष के बारे में जागरूक करने और इनके संचालन के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान किए जाने की जरूरत है।

आगे की राह

कर्ज के कारण किसान का खुदकुशी करना, गरीब महिला का बैंक खाते के संचालन में सक्षम नहीं होना, श्रमिक द्वारा अपने बचत को सही जगह रखने में अक्षम होना और अन्य ऐसे उदाहरण जरूरतों की एक आम प्रकृति की तरफ इशारा करते है। पैसे की जरूरत, संगठित संस्थाओं की जरूरत और जाहिर तौर भारत में वित्तीय समावेशन की सख्त जरूरत है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़ी कर्ज की प्रणाली ने वित्तीय कवरेज का दायरा बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। दरअसल इस प्रणाली की प्रकृति अर्थव्यवस्था में वित्तीय रूप से सबसे कमजोर समूह की जरूरतों को पूरा करने की है। दक्षिण के राज्यों ने इस सेक्टर से जुड़े कर्ज पर फोकस बढ़ाया है, जिससे महिलाओं को छोटे कारोबार के अवसर मुहैया कराने और उन्हें कर्ज के जाल से मुक्त करने में मदद मिली है।

लिहाजा, इस संबंध में किए गए आकलन आंगनबाड़ी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज के जरिए वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाने की सख्त जरूरत की तरफ इशारा करते हैं। इस सिलसिले में उचित जागयकता अभियान से नकदमुक्त जीवन शैली की ओर बढ़ने में भी मदद मिलेगी। सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल बैंकिंग और इससे जुड़े ढांचे को बढ़ावा देना असरदार नीतिगत साधन हैं।

हालांकि, वित्तीय समावेशन की अवधारणा अब भी शुरुआती दौर में है और इसके विश्लेषण में सीखने संबंधी मॉडलों और अन्य चीजों को शामिल कर इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. आधुनिक बाजार के लिए प्रतिस्पर्द्धा कानून, 2002 की समीक्षा

चर्चा का कारण

वित्त मंत्रालय ने 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' (Competition Act, 2002) के समीक्षा हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया है क्योंकि 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर अब तक लगभग डेढ़ दशकों में प्रतिस्पर्द्धा के मायने व सिद्धान्त काफी तीव्र गति से बदले हैं। यह समिति (या पैनल) बदलते हुए व्यापारिक वातावरण के अनुरूप प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, नियम और नियमावली की समीक्षा करेगी और आवश्यकता होने पर अपेक्षित बदलाव के सुझाव भी देगी।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002)

सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धा कानूनों का निर्माण अर्थव्यवस्था में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने हेतु बनाया जाता है, क्योंकि बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण होगा तो अर्थव्यवस्था की हर इकाई कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सकेगी। बाजार में उत्पादन इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्द्धी स्थितियों को बनाए रखने हेतु राज्य अपनी नियामिकीय भूमिका अदा करता है और जैसे-जैसे बाजार का दायरा व्यापक होता जाता है वैसे-वैसे राज्य की यह भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जाती है। राज्य की यह नियामिकीय भूमिका भूमण्डलीकरण के दौर में अत्यन्त आवश्यक हो गई है क्योंकि अब बड़ी और शक्तिशाली कम्पनियों द्वारा बाजार पर एकाधिकार (Monopoly) स्थापित करने का खतरा अधिक हो गया है। अत: दुनिया भर के सैकड़ों देशों ने सशक्त आर्थिक आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता हेतु प्रतिस्पर्द्धा कानूनों एवं नियामिकीय आयोगों का गठन किया है।

भारत सरकार ने भी राघवन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ-साथ व्यापार व उद्योग संघों, आम जनता आदि के परामर्श के बाद सन् 2002 में 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' को पारित किया। इस अधिनियम ने ''एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969'' (Monopolies and Restrictive Trade Practices, 1969) को प्रतिस्थापित किया। 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' ने निम्नलिखित क्षेत्रों के विनियमन पर बल दिया-

1. विरोधी प्रतिस्पर्द्धी समझौता (Anti-Competitive Agreements)
2. प्रभुत्व का दुरूपयोग (Abuse of Dominance)
3. संयोजन और विलय (combination and Mergers)

उपर्युक्त में से विभिन्न कम्पनियों के आपस में 'संयोजन और विलय' से संबंधित 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' में दिए गए प्रावधानों को व्यवहारिक धरातल पर सही से अभी तक नहीं उतारा जा सका है क्योंकि इससे संबंधित प्रावधान इस अधिनियम में जटिल व अस्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम निम्नांकित कार्यों एवं उद्देश्यों पर समान रूप से बल देता है-

- भारत में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करने हेतु व्यापारिक वातावरण को दूषित करने वाली रीतियों व प्रथाओं को हतोत्साहित एवं प्रतिबंधित करना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय बाजार में विदेशी कारोबारियों के लिए भी व्यापार की आजादी सुनिश्चित करना।

इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि माना गया है इसके लिए प्रतिस्पर्द्धा की उचित स्थितियाँ व व्यापारिक स्वतंत्रता को प्रमुख बताया गया है। इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने हेतु 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) नामक अर्द्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की गई। इसके अलावा प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम (2002) के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को देखने और उन पर त्वरित निर्णय देने हेतु 'प्रतिस्पर्द्धा अपील ट्रिब्यूनल' का गठन किया गया, हाँलाकि 'वित्त विधेयक, 2017' के तहत इस ट्रिब्यूनल का 'राष्ट्रीय कम्पनी कानून अपील ट्रिब्यूनल' (NCLAT) में विलय कर दिया गया।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

इस आयोग की स्थापना सन् 2009 में हुई थी और इसे 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' के तहत निम्नलिखित शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं-

1. आयोग का प्राथमिक दायित्व है कि प्रतिस्पर्द्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत रूप से बनाए रखना है।
2. उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखना क्योंकि भारत एक गरीब जनसंख्या बाहुल्य देश है।
3. भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
4. प्रतिस्पर्द्धा संबंधी मुद्दों पर अपनी राय देना तथा प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित नई विचारधाराओं के लिए विभिन्न पक्षों में रचनात्मक वार्तालाप को बढ़ावा देना।
5. प्रतिस्पर्द्धा मुद्दों पर जन-जागरूकता का सृजन करना और प्रशिक्षण देना।
6. प्रतिस्पर्द्धा के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का अधिकार।
7. प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों या विलय आदि को रोकना ताकि बाजार पर किसी एक इकाई का एकाधिकार स्थापित न हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सीसीआई को कमोवेश एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ 'कंपनी अधिनियम, 1956' के तहत भी दी गयी हैं ताकि कार्यवाई को त्वरित रूप से संपन्न किया जा सके।

'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' की समीक्षा क्यों?

- विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है तथा भारत दुनिया की पाँच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसमें प्रगति करने की असीम सम्भावनाएँ हैं। इस संदर्भ में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम को सशक्त करने की आवश्यकता है।
- इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबिटिक्स जैसी उच्च प्रौद्योगिकियों के वर्तमान दौर में उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' को सशक्त बनाने के लिए इस अधिनियम की समीक्षा आवश्यक है क्योंकि यह आयोग इसी अधिनियम से निर्देशित होता है।
- भारत में नए-नए व्यापार के क्षेत्र लगातार उभरकर सामने आ रहे हैं। यथा ई-कामर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट एवं एप और डिजिटल ट्रांजैक्शन आदि। ई-कामर्स जैसे व्यापारिक क्षेत्रों ने जहाँ एक तरफ भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया है तो वहीं प्रतिस्पर्द्धा को भी नए रूप से परिभाषित करने पर बल दिया है। अत: इस बदलते कारोबारी माहौल के साथ भारत सरकार को अपने प्रतिस्पर्द्धा के कानूनों को भी बदलने की आवश्यकता है।
- राघवन समिति ने अर्थव्यवस्था के उन्नयन हेतु उपभोक्ता एवं उत्पादन, दोनों के हितों का संरक्षण प्रमुख माना था किन्तु सरकार इस

एक्ट के तहत इस उद्देश्य को पाने में कहीं न कहीं विफल साबित हुयी है।

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपभोक्ता एवं सेवा देने वाली इकाइयों, दोनों के ही द्वारा 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' के समक्ष भारी संख्या में विभिन्न मामले दर्ज कराए गए हैं।
- बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा, आम उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करती है। व्यवसायिक उद्यम अपने संकीर्ण हितों के चलते विभिन्न प्रकार की गलत युक्तियों को अपनाते हैं। उनके द्वारा गलत प्रकार से मूल्य निर्धारण, कीमत बढ़ाने हेतु जानबूझकर आपूर्ति में कटौती करना और बिक्री में गलत गठजोड़ बनाना जैसी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। जिसका विभिन्न हित समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए न केवल एकाधिकार अथवा व्यापारिक संयोजनों के गठन को रोका जाना आवश्यक है बल्कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना भी आवश्यक है।

समीक्षा कमेटी/पैनल का एक संक्षिप्त विवरण

'कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय' के सचिव की अध्यक्षता में गठित नौ सदस्यीय इस समिति का मुख्य ध्येय है-

''बदलते करोबारी माहौल में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम (2002) की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों हेतु संस्तुतियाँ उपलब्ध कराना।''।

इस समिति का 'कार्य क्षेत्र' (Terms of References) निम्नानुसार है-

1. प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम नीतियों व प्रथाओं का विश्लेषण करना। विशेषकर एंटी-ट्रस्ट कानून, विभिन्न कम्पनियों के आपस में विलय हेतु दिशा-निर्देशों आदि पर अधिक बल देना अपेक्षित है।
2. उन नियामकों, नियमों, अधिनियमों और नीतियों आदि की पहचान करना अपेक्षित होगा जो 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' से ओवरलैप (टकराव) करते हैं।
3. प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित अन्य नए मुद्दों की भी सिफारिशें देना है।

निष्कर्ष

- मुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में प्रतिस्पर्द्धा एक संचालक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है। भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देश को उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्चता प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। क्योंकि राज्य, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को अपने हाँथ में नहीं ले सकता, अतः सरकार को सुशासन की अवधारणा के तहत एक सशक्त व निष्पक्ष नियामिकीय ढाँचा उपलब्ध कराना होगा।
- समीक्षा समिति को भी अपनी सिफारिशों को इस प्रकार सुझाना होगा जिससे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम प्रासंगिक बने और 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' प्रतिस्पर्द्धा विरोधी पद्धतियों को रोकने हेतु एक सजग संगठन के रूप में बनकर उभरे।
- भारत में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, इस स्थिति में भारत को यदि अपने 'जनांकिकीय लाभांश' (Demographic Devidends) को पाना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' पर भी ध्यान देना होगा। हाँलाकि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किया है, जिसे विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग' के इस ग्रॉफ से समझा जा सकता है-

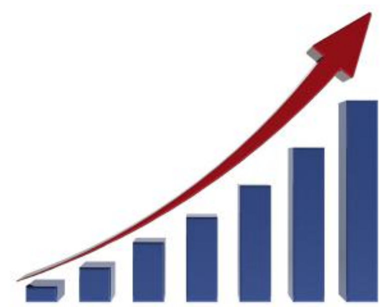

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट कई मानकों पर जारी होती है, उनमें से कई मानक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धान्त पर आधारित हैं। यथा- अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा, अनुबन्ध लागू करना आदि हैं। यदि भारत सरकार स्वच्छ और पारदर्शी नीतियों को उचित रीति व कानून से लागू करेगी तो व्यापार के हर क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

3. संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर गहराता संकट

चर्चा का कारण

पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार पर संवैधानिक या सांविधिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनके कामकाज में दखल देने का आरोप लग रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ वर्तमान सरकार के ऊपर लग रहा है बल्कि इसके पहले के सरकारों पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं।

सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई के बाद अब सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि आरबीआई के काम-काज में दखल दिया है? उन आरोपों के बाद सरकार को अब सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। खबरें यह भी है कि सरकार ने इतिहास में पहली बार आरबीआई कानून की धारा-7 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कमजोर बैंकों के लिए नकदी मुहैया कराने, छोटे और मध्यम उद्योग को कर्ज देने तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नकदी जैसे मुद्दों पर आरबीआई को कहा है।

मामला क्या है?

गौरतलब है कि सीबीआई ने राकेश अस्थाना और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से घूस लेने के आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मोइन कुरैशी के उपर धनशोधन और भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिसम्बर 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पाँच बार रिश्वत दी गई है। घूसखोरी के मामले में एफआईआर के बाद अब सीबीआई ने अस्थाना पर फर्जीवाडे और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। हालांकि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँचे विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने याचिका में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

वर्तमान स्थिति

यदि संस्थाओं की स्वायत्तता की बात की जाय तो आजादी के बाद से ही कई संस्थाओं को सरकारें अपने तरीके से चलाने में सक्रिय दिखीं। देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है जब पूरे देश पर तत्कालीन सरकार की मनमानी चली चाहे व सरकारी और गैर सरकारी एजेंसिया हों। जैसे-जैसे राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया और सरकारें अपने निजी हितों पर ज्यादा ध्यान देने लगी वैसे-वैसे संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कम होती चली गई।

अभी कुछ वर्ष पहले ही सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया जबकि इडी और अन्य संस्थाओं को सरकार का पिछलग्गू। ऐसा कहा जाने लगा था कि संवैधानिक संस्थाओं पर नियुक्ति से लेकर इनकी कार्यपद्धति सब पर सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है जिससे कि इन संस्थाओं के द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा सका है। ऐसा आरोप लगाया गया कि सीबीआई कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर करना चाह रही है लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान सरकार के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अभी-अभी राफेल विवाद को सीबीआई विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, रिजर्व बैंक, सर्तकता आयोग आदि संस्थाओं पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है। इस कथन की पुष्टि इसलिए भी होती जा रही है कि सरकार संस्थाओं के कार्यप्रणाली को बदलने या उसे बेहतर करने के बजाय संस्थाओं को ही बदलने पर या खत्म करने पर जोर दे रही है।

हालांकि यह पहली बार है कि सीबीआई अपने शीर्ष अधिकारियों के बीच एक आंतरिक विवाद के कारण अपने साख को खोती जा रही है। ऐसा देखा गया है कि सर्वाधिक हस्तक्षेप का शिकार सीबीआई हो रही है चाहे वह पहले हो या अभी। सीबीआई चूकि भ्रष्टाचार के मामले उजागर करती है और ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार के अधिकांश मंत्रीगण कहीं न कहीं इन मामलों में लिप्त पाए जाते हैं इसलिए मामलों को दबाने के लिए भी सरकारें समय-समय पर ऐसी संस्थाओं पर दबाव बनाती है। इसी तरह की स्थिति निर्वाचन आयोग से लेकर सर्तकता आयोग के मामले में भी देखा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है सरकारों की अपनी निजी स्वार्थ को बनाये रखना।

भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएं

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

संस्थान परिचयः सीबीआई को ये नाम साल 1963 में मिला। हालांकि इसका गठन साल 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के रूप में हुआ। तब इसका काम युद्ध और आपूर्ति विभाग के भ्रष्टाचार मामलों की जांच करना था। बाद में इसकी जांच का दायरा बढ़ता गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)

संस्थान परिचयः सीवीसी का गठन साल 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के मकसद से हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

संस्थान परिचयः प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक कानून को लागू कराने वाला संस्थान है। ये संस्थान भारत में आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने के लिए गठित हुआ है और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

संस्थान परिचयः रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी।

भारतीय चुनाव आयोग

भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका गठन भारत में स्तवंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधिक संस्थानों में जन प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करती है। संविधान के अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर, 1926 को हुई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। महिला आयोग का काम महिलाओं के संवैधानिक हित और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करना होता है। इस आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं।

केंद्रीय सूचना आयोग

भारत सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को सहज, सुचारु रखने और देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने और सरकारी पारदर्शिता के लिए आरटीआई अधिनियम स्थापित किया। 2005 में इस का आयोग गठन किया गया। राइट टू इन्फॉरमेशन (आरटीआई) का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। आरटीआई के तहत हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 के तहत किया। इसका गठन पांच धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों के कार्यालय राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

कम्पट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आम तौर पर कैग के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है, जो केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों के आय-व्यय की जांच करती है। यही संस्था सार्वजनिक धन की बरबादी के मामलों को समय-समय पर प्रकाश में लाती है। 1948 में पहले कैग वी. नरहरि राव बने थे। भारत के कैग फिलहाल विनोद राय हैं। वह देश के 11वें कैग हैं।

सरकारी संस्थाओं की स्वयत्तता की सीमा

सत्ताधारी सरकार और स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों के बीच मतभेद की स्थिति कोई नई बात नहीं है। सवाल उठता है कि क्या इन संस्थाओं और संस्था प्रमुखों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी जाए? यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर हमेशा विवादस्पद रहेगा, फिर भी इससे जुड़े कुछ तथ्य है, जिन पर नजर डालते हैं।

- बहुत सी सरकारी संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि संवेदनशील काम करती है। इन्हें पूरी तरह से स्वायत्तता दे देना सरकार के लिए सही निर्णय नहीं होगा। बहुत से मामलों में देखा गया है कि इन संस्थाओं के प्रमुख ही अनुचित कार्यो में संलग्न हो जाते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हो सकता है।
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का सभी राजनैतिक दलों ने स्वागत किया। परंतु कुछ समय बाद उनकी बढ़ती हुई मनमानी को देखकर निर्णय लिया गया कि अब एक की जगह तीन चुनाव आयुक्त होंगे।
- भारतीय अन्वेषण ब्यूरो को सरकार के नियंत्रण से बाहर लाने के बारे में चर्चा की जाती रही है। हाल ही में इसके पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का नाम कोयला खदानों के

वितरण में घपले को लेकर सुर्खियों में रहा है।

- रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सुब्बाराय एवं वर्तमान गवर्नर रघुराम राजन का नाम भी सरकारी मतभेदों के कारण उजागर हुआ। पूर्व गवर्नर सुब्बाराव का कहना है कि "तत्कालीन वित्त मंत्री विकास की वेदी पर मूल्य-स्थिरता की बलि चढ़ाना चाहते थे।" कई मुद्दों पर मतभेद के बाद उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि गवर्नर को ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चुनाव करने की छूट दी जाए। सरकार ने उनकी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें प्रस्तावित तीन नामों में से एक का चुनाव किया गया।
- अब सरकार शीघ्र ही वित्त-नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन कर रही है। इसमें तीन सरकारी प्रतिनिधि एवं तीन बाहरी विशेषज्ञ होंगे। तत्कालीन सरकार मध्यम मुद्रा स्फीति को अपने लक्ष्य में रखेगी। आरबीआई गवर्नर को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम उठाने होंगे। लक्ष्य हासिल न हो पाने की स्थिति में गवर्नर सरकार के प्रति जवाबदेह होगा।
- सरकारी संस्थाओं के स्वायत्तता का मतलब सरकार से उनका अलग संचालन कदापि नहीं हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री वाई.वी. रेड्डी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि "सरकार की तय सीमा में काम करने के लिए रिजर्व बैंक पूरी तरह से मुक्त है।" सभी स्वायत्त संस्थाओं के लिए यह एक आदर्श वाक्य हो सकता है।
- स्वायत्त संस्थाओं को सरकार और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही तय करके उन्हें स्वायत्तता दी जा सकती है। दूसरा तरीका, इन संस्थाओं द्वारा कुछ वर्षों में अपना ऑडिट करवाना है। इस प्रकार के ऑडिट समूह में सांसद, सरकारी अधिकारी, प्रबंधन विशेषज्ञ तथा उपभोक्ता आदि शामिल हों। ऑडिट किए गए दस्तावेज को जनता के समक्ष रखा जाए। इस प्रकार स्वायत्त संस्थान निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकेंगे।

प्रभाव

उल्लेखनीय है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधानवेत्ताओं ने देश की एकता और आवश्यकता को ध्यान में सरकार ने कई स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण किया। चूंकि ये संस्थायें सरकार के कार्यों में सहयोग देती हैं और सरकार इन्हीं के बदौतल एक स्वच्छ और पारदर्शी शासन दे पाती है।

अतः जिन संस्थाओं को बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने इतनी मेहनत की उन संस्थाओं पर बाहरी हस्तक्षेप कहाँ तक सही है? सरकारें खुद जिनके बदौलत आगे बढ़ती हैं उन्हीं के अधिकारों को सीमित करना कहाँ तक सही है। यदि इनके ऊपर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ता है तो कई परिणाम सामने आ सकते हैं।

1. सरकार के सभी कार्यों को सिर्फ कार्यपालिका नहीं कर सकती है इसलिए ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं का होना अतिआवश्यक है। यदि इन संस्थाओं पर रोक लगाया गया तो जरूरी लोकहित के कार्य प्रभावित होंगे।
2. संस्थाओं का कार्य है सरकार के कार्यों को न सिर्फ करना बल्कि उसकी प्रगति या उनमें होने वाले कमियों को उजागर करना इसलिए यदि इनकी स्वतंत्रता को बाधित किया गया तो भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा।
3. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं पर हस्तक्षेप बढ़ता है तो लोकतंत्र निरंकुशतंत्र के रूप में बदल जाएगा।
4. उल्लेखनीय है कि ये संस्थाएँ चेक एण्ड बैलेन्स का कार्य करती हैं इसलिए इन संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
5. भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में निवास करती है और ग्रामीण जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है इसलिए इन संस्थाओं के माध्यम से लोग सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि इस पर हस्तक्षेप बढ़ता है तो लोगों का विश्वास इन संस्थाओं के साथ-साथ सरकार पर भी कम होगा।
6. संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण एक गलत प्रचलन को बढ़ावा दे सकता है जिससे कि अनावश्यक बहस की गुंजाइश बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष

समय के साथ बदलना और परिस्थितियों का सही तरीके से उपयोग करना ही विकास की सफलता की कुंजी है। लेकिन जब बदलाव बेवजह और अन्याय पूर्ण हो तथा उससे एक गलत प्रचलन का आरंभ हो तो वह विकास के गति की रफ्तार को कम कर देती है।

संस्थायें अपने आप में पूर्ण नहीं है तथा उनको इतनी छूट भी नहीं मिलनी चाहिए कि वे निरंकुश हो जायें लेकिन किसी के द्वारा उनपर इतना हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए जिससे कि वे अपना कार्य ही नहीं कर सके।

लोकतंत्र की खुबसूरती यही है कि सभी को लेकर चला जाय। हो सकता है कि किसी व्यक्ति या संस्था के विचार गलत हों या उससे असहमत हो तो भी उसके विचारों को सुना जाना चाहिए। वर्तमान में संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहा विवाद लोकतंत्र को कमजोर करेगा जो भारत के लिए सही नहीं है।

सरकारों को चाहिये कि वे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें तथा अनावश्यक हस्तक्षेप से बचे। संस्थाओं से भी इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे लोकहित के कार्यों को सही तरीके से करेंगे तथा कमियों को बाहर लाएंगे। उन्हें भी अपने निजी स्वार्थ से बचना होगा जिससे कि संविधान निर्माताओं का किया गया प्रयास बेकार न जाये। उन्हें यह बात समझना होगा कि सरकारें तो बनती बिगड़ती रहेंगी लेकिन वे लम्बे समय तक नागरिक समाज के कार्यों को करते रहेंगे।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाये रखा जाय और सरकार के साथ मिलकर देश को आगे की तरफ बढ़ाया जाय। तमाम उठा-पटक के बावजूद भारत का लोकतंत्र समय के साथ और मजबूत हुआ है जिसमें कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग एवं केंद्रीय बैंक जैसी संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

■

4. भारत–भूटान सम्बन्ध एक बेहतर भविष्य की ओर

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत-भूटान संबंधों के जहाँ 50 वर्ष पूरे हुए वहीं दूसरी तरफ भूटान में हुऐ चुनाव ने भारत का ध्यान अपनी तरफ खीचा है। विदित हो कि भूटान में नेशनल असेम्बली के चुनाव दो चरणों में पूरे हुए। चुनाव में ड्रुक नियामरप सांगपा या डीएनटी को चुनाव में जीत मिली है। डीएनटी के अध्यक्ष डॉ. स्वजंल शेरिंग भूटान के नए प्रधानमंत्री होंगे। डीएनटी की जीत से पता चलता है कि 2018 का चुनाव बदलाव के लिए चुनाव रहा। डीएनटी का गठन 2013 में किया गया था और उस साल के संसदीय चुनाव मे इसे तीसरा स्थान मिला था। डीएनटी ने इस बार 47 सीटों वाली भूटान की संसद में तीस सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में विपक्षी दल डीएनटी ने 17 सीटें हासिल की थीं।

गौरतलब है कि भूटान में जब 2008 में पहली राष्ट्रीय सभा के चुनाव के बाद नए संविधान को स्वीकार किया था तब एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का अनुभव किया गया। भूटान शांतिपूर्ण तरीके से वंशानुगत राजशाही से राजसी संवैधानिक लोकतंत्र में बदल गया। सत्ताधारी दल से अंतरिम सरकार को शक्ति हस्तांतरण अभी तक शांतिपूर्ण रहा है जो कि पिछले दशक के दौरान लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात है कि 2008 से लेकर अभी तक तीन नेशनल असेम्बली चुनावों में भूटान के लोगों ने तीन अलग-अलग दलों को चुना है। 2013 के चुनावों में मतदाताओं ने सत्ताधारी डीपीटी के मुकाबले पीडीपी को चुना था लेकिन इस बार पीडीपी आरम्भिक चरण में अपनी जगह नहीं बना पाई।

पृष्ठभूमि

दक्षिण एशिया का छोटा देश भूटान व भारत खास पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच में भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक निकटता है। 1910 में ब्रिटिश द्वारा हस्ताक्षरित भूटान के साथ पुनाखा की संधि के बाद के समय में भारत-भूटान संबंध की नींव रखी गई। नेपाल व भूटान दोनों देश ही भारत के मुख्य पड़ोसी देश हैं। भारत व भूटान के बीच में खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय-भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिए स्थापित की गई है।

भारत की आजादी के बाद से ही भारत व भूटान का सम्बन्ध हर समय साथ खड़े रहने वाले दोस्त की तरह रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश के प्रवेश का समर्थन भी भारत द्वारा ही किया गया था जिसके बाद से इस देश को भी संयुक्त राष्ट्र से विशेष सहायता मिलती है। दोनों के बीच अधिकतर समय तक द्विपक्षीय संबंध मजबूत ही रहे हैं लेकिन डीएनटी की जीत से पता चलता है कि 2018 का चुनाव बदलाव के लिए चुनाव रहा जो कही न कहीं भारत के सामने चुनौती भी पेश करता है। दरसल वर्तमान में भूटान का चीन की तरफ रूझान बढ़ा है ऐसे में जरूरत भारत को भूटान पर ध्यान देने की है। चुकी भूटान भारत के लिए काफी महत्व रखता है तथा दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग भी स्थापित हैं जिसे निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है -

भूटान का भू-राजनीतिक सहयोगः

भूटान की भौगोलिक स्थिति के कारण ये दुनियाँ के बाकि हिस्सों से कटा हुआ था लेकिन हाल ही में भूटान ने दुनिया में अपनी जगह बना ली है। हाल के दिनों के दौरान भूटान ने एक खुली-द्वार नीति विकसित की है। दुनिया के कई देशों के साथ राजनीतिक संबंधों को भी इस देश के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी भूटान कि सबसे अधिक निकटता सिर्फ भारत के साथ ही है। भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य है। यह बिम्सटेक, विश्व बैंक और आईएमएफ का सदस्य भी बन चुका है।

भारत भूटान सहयोग संधिः

भारत और भूटान ने 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह हिमालयी देश भारत को सुरक्षा प्रहरी के रूप मे मानता है। भारत भूटान संधि को भूटान की विदेश नीति के तौर पर देखा जाता है। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी तो भूटान ने चीन को संभावित खतरे के रूप मे देखा। इससे भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। मैत्री संधि के मुताबिक भूटान को विदेशी संबंधों के मामलों में भारत को शामिल करना होता था। लेकिन साल 2007 में इसमें संशोधन किया गया। इसके मुताबिक अब सिर्फ भारत के हितों संबंधी मामलों पर ही भूटान भारत की राय लेगा।

संशोधित मानदंडों के तहत भूटान को अब हथियार आयात करने पर भारत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। भारत भी संप्रभुता और लोकतंत्र के प्रति भूटान की प्रगति का समर्थन करता है। इस संधि से भारत व भूटान के बीच में शांति व सतत व्यापार को भी बल मिलता है।

जलविद्युत सहयोगः

- भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत निर्यात पर निर्भर करती है। भूटान में भारतीय कम्पनी टाटा पावर द्वारा एक पनबिजली बाँध निर्मित किया गया है। इससे न केवल भूटान में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि इस बाँध द्वारा उत्पादित बिजली भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को निर्यात भी की जाती है। इससे भूटानी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है।
- इस बाँध परियोजना के कारण भूटानी अर्थव्यवस्था में 20% उछाल आया है जो विश्व में दूसरी सर्वाधिक वृद्धि दर है। भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी है।
- हाल ही में भारत सरकार ने 2020 तक भूटान में 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता की। उल्लेखनीय है कि भारत जलविद्युत निर्यात भूटान के घरेलू राजस्व का 40% से अधिक प्रदान करता है जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 25% है।
- गौरतलब है कि भारत 1020 मेगावाट की हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 336 मेगावाट की चुखा जलविद्युत परियोजना, पेंडन सीमेंट प्लांट, पारो हवाई अड्डे, भूटान प्रसारण स्टेशन सहित अनेक परियोजनाओं में भारत प्रमुख रूप से सहयोग कर रहा है। विदित हो कि वर्तमान में, तीन इंटर-गवर्नमेंट (आईजी) मॉडल एचईपी-1200 मेगावाट पनाटसंघु-आई, 1020 मेगावाट पनटसंघु द्वितीय और 720 मेगावाट मांगदेछू निर्माण के तहत हैं।

सुरक्षा सहयोगः

- दोनों देशों ने विद्रोहियों के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है। स्मरणीय हो

कि 2004 में रॉयल भूटानी सेना ने उल्फा (संयुक्त लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के खिलाफ अभियान चलाए।

- भूटान से भारत का मैत्री संबंध पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ है। दोनों पड़ोसी राष्ट्रों से सीमा को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सहयोग मिल रहा है। इससे सीमा पर तस्करी व घुसपैठ पर नकेल कसी गई है।

राजनयिक सहयोग:

- भारत ने भूटान को लोकतंत्र के सफल कार्यान्वयन में भरसक सहायता का वचन दिया है। दोनों देशों के उच्चतम स्तर के सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच नियमित यात्राओं की एक परंपरा बन गई है। उदाहरण के लिए, 2014 में, हमारे प्रधानमंत्री ने चुने जाने के बाद भूटान को अपने यात्रा के लिए पहला देश चुना। अच्छे राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए भारत भूटान को विदेश सेवा के अधिकारी को भी भेजता है।
- भारत के साथ भूटान भी क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) के दक्षिण एशियाई संघ, बिम्सटेक, विश्व बैंक, आईएमएफ, 77 का समूह और अन्य का सदस्य है जो दोनों देशों के बीच सहयोग का एक अन्य करण भी है।
- गोरतलब है कि भूटान नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक 26 जनवरी, 2005 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। भूटान नरेश की इस यात्रा के दौरान भूटान की 9वीं योजना हेतु भारत सरकार के सहायता पैकेज की समीक्षा की गई तथा विकास सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी गई।
- ठीक इसी तरह अगस्त, 2011 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत ने भूटान के निवेदन पर सहमति जताते हुए डालू एवं घासूपारा लैन्ड कस्टम स्टेशनों का उपयोग भूटानी कार्गो के लिए तथा चार अतिरिक्त प्रवेश/निकास बिंदु के नोटिफिकेशन पर सहमति दी। इसके अतिरिक्त 68 प्रमुख सामाजिक आर्थिक सेक्टर प्रोजेक्ट तथा कृषि, सूचना एवं संचार तकनीकी (आईसीटी), मीडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, संस्कृति तथा आधारभूत संरचना में भी भारत द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
- वही लघु विकास प्रोजेक्ट (एसडीपी) के अंतर्गत देश के 20 जिलों एवं 205 ब्लॉकों में 1900 प्रोजेक्टों के लिए भारत द्वारा भूटान को अनुदान दिया जा रहा है। पुनतसांगचू-1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी) पूर्ण गति पर है। तथा पुनतसांगचू-2 तथा मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बेहतर तरीके से प्रगति पर है। इस प्रकार दोनों देश भूटान में वर्ष 2020 तक लगभग 10,000 मेगावाट बिजली के संयुक्त उत्पादन के लक्ष्य के करीब है, जिसका निर्यात भारत में किया जा सकेगा।

आर्थिक सहयोग:

- भूटान द्वारा 1960 के दशक के आरंभ में योजनाबद्ध विकास शुरू किये जाने के समय से ही भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पहुंचा रहा है। सार्क देशों में मालदीव के बाद भूटान की प्रति व्यक्ति आय दूसरे नंबर पर है।
- भारत व भूटान के बीच मुक्त व्यापार समझौता साल 1972 में हुआ था। भूटान भारत से करीब 80 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं का आयात करता है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है उल्लेखनीय है कि भूटानी मुद्रा नगलट्रम को आधिकारिक तौर पर भारतीय रुपया (रुपये) से आंका जाता है।
- विदित हो कि अगस्त, 2013 में भूटान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने भारत की यात्रा की, तब भारत सरकार ने भूटान की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता देते हुए उसे मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का समझौता किया।
- 2016 में एक नया व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार से संबंधित दस्तावेज को कम करना और भूटान में अतिरिक्त व्यापारिक बिंदु स्थापित करना है।
- भारत ने तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भूटान को मुक्त पारगमन भी प्रदान किया है।
- इसके साथ ही भारत द्वारा भूटान, को सड़क निर्माण व अन्य सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में मदद दी जा रही है।

शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग:

- ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, तो भारत और भूटान के सम्बन्ध काफी घनिष्ठ रहे हैं। भारत और भूटान के आपसी संबंध घनिष्ठ शैक्षिक और सांस्कृतिक विचार-विमर्श, पूर्ण विश्वास और आपसी समझ पर आधारित हैं और वे आदर्श पड़ोसी के संबंधों का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन विशेष संबंधों को नियमित यात्राओं की परंपरा और उच्च स्तरों पर विचारों के आदान-प्रदान के जरिए और भी स्थायित्व प्रदान किया जाता है।
- स्मरणीय हो कि 2003 में भारत भूटान नींव की स्थापना संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में लोगों के सहयोग से की गई थी। इसका प्रमाण यह है कि लगभग 4000 भूटानी भारतीय विश्वविद्यालयों में आत्म-वित्त पोषण के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं।

पर्यावरण सहयोग:

- भारत हिमालय को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन में भूटान को शामिल करने पर विचार कर रहा है।
- परियोजना का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है जो कई पारिस्थितिकीय समस्याओं से लुप्तप्राय हो गया है।

भारत भूटान सम्बन्धों में नई चुनौतियाँ

भारत व भूटान मजबूत पड़ोसी देश हैं। भारत हर संभव अपने पड़ोसी देश की मदद करता है हालांकि भूटान धीरे-धीरे भारत पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है।

गौरतलब है कि भारत भूटान संधि के मुताबिक भारत भूटान के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु उसके बाहरी संबंधों में सलाह जरूर दे सकता है। इसका ही चीन द्वार विरोध करके भारत को छोटा पड़ोसी प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन डोकलाम विवाद के समय में भूटान का प्रमुख सहयोगी एकमात्र भारत ही रहा था जिसने पड़ोसी देश की रक्षा के लिए चीन का विरोध किया। वर्तमान में भूटान की स्थिति को

देखते हुए सरकार द्वारा 'भारत टू भूटान' (बी2बी) पर बल दिया जा रहा है लेकिन इस संदर्भ में कई चुनौतीयाँ हैं-

- उत्तरी पड़ोसी चीन, भूटान के साथ अपने संबंधों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करना चाहता है। चीन ही इकलौता देश है, जिसके साथ भूटान के अब तक औपचारिक संबंध नहीं हैं। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद ही भूटान के भारत के साथ औपचारिक संबंध स्थापित हुए। भूटान, भारत द्वारा सिक्किम को साथ मिलाए जाने से भी चिंतित था, लेकिन खुद को ज्यादा संकट में महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि तब तक वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन चुका था और उसने अपने विदेशी संबंध बनाने शुरू कर दिए थे।।
- दो विशाल पड़ोसियों के मुकाबले में खड़ा भूटान अपने पड़ोसियों से खतरे के प्रति संवेदनशील है। भूटान को सामरिक सुरक्षा के लिए भारत के अलावा अन्य देशों से संबंध प्रगाढ़ करने के लिए प्रेरित किया है।
- लम्बे खिंचे डोकलाम संकट के दौरान भी भारत में भूटान के राजनयिक के एकमात्र बयान के सिवाए, भूटान सरकार ने हैरतंगेज रूप से चुप्पी साधे रखी। भूटानी राजनयिक ने चीन को उनके क्षेत्र में सड़क बनाने का दोषी ठहराया। जहां एक ओर भूटान ने सार्वजनिक तौर पर परेशान करने वाली चुप्पी साध रखी थी, वहीं भूटान सरकार, भारत सरकार के साथ गहन वार्ता कर रही थी और उसे आशा थी कि भारत की सहायता से ये मसले हल हो जाएंगे। भूटान के सामाजिक संगठन दो पड़ोसी देशों की भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अपनी संप्रभुता के खतरे को लेकर चिंतित थे।
- भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के प्रभाव के बढ़ते दायरे ने भूटान को केवल आघात से बचाव करने वाल देश ही बना कर रख छोड़ा है।
- भारत द्वारा नेपाल सहित बहुत से देशों की नियमित मदद किए जाने के बावजूद, पड़ोसी देशों ने चीन को भारत के खिलाफ एक कार्ड के रूप में ही इस्तेमाल किया है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है, जिसने कभी भारत के साथ ऐसा नहीं किया है और भारत भी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भूटान ऐसा कभी न कर सके। भारत की भूटान नीति का काफी हद तक यही आधार रहा है
- लोकतंत्र की स्थापना के बाद से सजग सामाजिक संगठनों के एक वर्ग का उदय हुआ है, जो सरकार की नीतियों की कटु आलोचना कर रहा है तथा इन नीतियों को भारत समर्थित बता रही है। यह वर्ग भारत-भूटान संबंध के लिए एक चुनौती रूप में उभरे हैं।
- सरकार को देश के कारोबारी हितों को नजरंदाज कर अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस बात का ज्वलंत उदाहरण भूटान सरकार द्वारा बीबीआईएन मोटर व्हीकल अग्रीमेंट (एमवीए) पर हस्ताक्षर किया जाना है, जिस फैसले को बाद में हितधारकों, विशेषकर देश की ट्रकर्स और टैक्सी एसोसिएशन्स के विरोध के कारण नेशनल काउंसिल ने पलट दिया। संसद में अनुमोदन नहीं हो पाने की वजह से भूटान बाद में एमवीए से अलग हो गया।
- निर्माण में देरी के कारण वर्तमान में जारी पनबिजली परियोजनाओं की लागत में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है और संकोश या कुरी गोंगरी जैसी विशाल परियोजनाओं के बारे में व्याप्त अनिश्चितता के कारण पनबिजली उत्पादन के लक्ष्यों में व्यापक कमी आई है। 2014 से 2020 तक 10,000 मेगावॉट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब घटाकर 2021 तक 5000 मेगावॉट उत्पादन कर दिया गया है।
- भारत द्वारा जीएसटी लागू किए जाने के परिणामस्वरूप भूटान के कारोबारियों को नुकसान पहुंचा है। भूटान, भारत से पहले ही कह चुका है कि वह कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई करे।
- भारत को भूटान के सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व और निर्बाध विकास संबंधी हितों का ध्यान रखना होगा, जिनकी अपेक्षा भूटान अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से करता है। इस पर खरा उतरना भारत के लिए चुनौती रूप में सामने आ रही है।

समस्या समाधान को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- संबंध को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुखों की लगातार यात्रा को प्रोत्साहित किया गया है।
- प्रधान मंत्री मोदी ने कार्यालय की धारणा के बाद भूटान की अपनी पहली यात्रा का भुगतान किया।
- भारत ने भूटान के सभी 20 जिलों को कवर करने वाली ई-प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए सहायता की घोषणा की।
- प्रधानमंत्री ने प्रभावी और नवीकरण द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए बी 2 बी के विचार को भारत से भूटान के रूप में अपनाया है।
- भूटान को हाल ही में भारत की विदेशी सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया गया।
- रॉयल भूटान सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक 1000 मजबूत भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (आईएमटीआरएटी) पश्चिमी भूटान में स्थायी रूप स्थापित किया गया है, जबकि अन्य इकाइयाँ नियमित रूप से रॉयल भूटान सेना के साथ सहयोग करती हैं।

आगे की राह

उपरोक्त अध्यन का कुल निचोड़ यह है कि भारत भूटान संबंध दूध और पानी जैसा है। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को लेकर सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य सराहनीय है, लेकिन इस दिशा में कुछ सुझावों को भी अमल में लाया जा सकता है जैसे -

- भारत को कुछ जलविद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की जरूरत है जिसमें पर्याप्त धन की कमी के कारण देरी हो रही है।
- भारत को क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भूटान और उसके उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है।
- भूटान के साथ भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है जबकि चीन में भूटान के साथ कई सीमा विवाद हैं। भूटान में चीन की सामरिक गणनाओं का मुकाबला करने के लिए इस संबंध और सद्भावना को बनाए रखा जाना चाहिए।
- दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि और रिश्ते को बनाए रखने के लिए भारत को अपने आर्थिक विकास के साथ भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशहाली का गठबंधन करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि पर उठता विवाद

चर्चा का कारण

अमेरिका ने आईएनएफ (इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस) संधि से हटने और नए परमाणु हथियार बनाने की घोषणा करके दुनिया को चिंता में डाल दिया हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि चूँकि रूस ने मध्यम दूरी की नई मिसाइलें बनाकर इस संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेरिका भी इस समझौते को नहीं मानेगा।

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ट्रंप ने संधि से हटने का फैसला किया तो रूस भी इसका जवाब देगा जो काफी तेज और प्रभावी होगा। उन्होंने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी देश ने अमेरिका की परमाणु मिसाइलों को अपने देश में जगह दी तो उसे निशाना बनाया जाएगा।

आईएनएफ संधि की पृष्ठभूमि

सन् 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनॉल्ड रीगन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 'आईएनएफ संधि' (Intermediate- Range Nuclear Forces Treaty) पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों नेताओं ने आगे से मध्यम व छोटी दूरी की मिसाइलों का निर्माण न करने का वचन दिया था। इसके तहत यह भी तय हुआ कि दोनों देश अपनी कुछ मिसाइलों को नष्ट करके उनकी संख्या को एक निश्चित सीमा के अन्दर लायेंगे। इस संधि के बाद दोनों देशों ने अपनी हजारों संग्रहित मिसाइलों को नष्ट किया गया था।

इस संधि ने शीतयुद्ध के तनाव से जूझते विश्व को बड़ी राहत दी थी। इससे यह आश्वासन मिला था कि दुनिया को परमाणु युद्ध की विभीषिका नहीं झेलनी पड़ेगी।

आईएमएफ संधि पर खतरा क्यों मंडराया?

- इस संधि के प्रावधानों के उल्लंघन पर अमेरिका और रूस लम्बे समय से एक-दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं। आखिरकार अमेरिका ने इस संधि से पीछे हटने की घोषणा कर दी है, इसके पीछे उसके तर्क हैं-
    - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि रूस सहित विश्व के अन्य बड़े देश (यथा-चीन, भारत आदि) लगातार परमाणु हथियारों को विकसित कर रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ अमेरिका का ही इस संधि से बंधे रहने का कोई औचित्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि चीन ने विगत वर्षों में भारी संख्या में हथियारों का संग्रहण किया है।
    - अमेरिका, रूस की नई मिसाइलों (नोबातोर मिसाइलों) की रेंज को लेकर पिछले करीब चार वर्षों से सवाल उठा रहा है और इस मुद्दे को रूस ने गम्भीरता से नहीं लिया।
- पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी सरकारों के बनने का सिलसिला चल पड़ा है। यथा-अमेरिका में ट्रम्प सरकार, ब्राजील में जेयर बोलसोनारो सरकार इत्यादि। जब किसी देश में तथाकथित राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत दक्षिणपंथी सरकारों का गठन होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर परमाणु या अन्य उन्नत हथियारों के संग्रहण की प्रवृत्ति जोर पकड़ती है। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने आईएनएफ संधि से बाहर निकलने का फैसला किया है।
- वर्तमान में अमेरिका और रूस के संबंध काफी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ रूस अपने पूर्ववर्ती सोवियत संघ जैसी प्रतिष्ठा चाहता है तो वहीं अमेरिका विश्व को एकध्रुवीय व्यवस्था ही रहने देना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय होकर कई केन्द्रों (चीन, भारत, रूस आदि) में विभक्त हो जाए।
- **रूस, चीन व पाकिस्तान का त्रिकोणीय समीकरण-** वैश्विक व्यवस्था में कुछ इस तरह के समीकरण उभर रहे हैं कि रूस, चीन व पाकिस्तान धीरे-धीरे एक सूत्र में बंधते जा रहे हैं। अमेरिका इस उभरते हुए गठजोड़ से भी चिंतित है तथा वह इन देशों की शक्ति को क्षीण करने हेतु तरह-तरह की अप्रत्यक्ष नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है।
- **आईएमएफ संधि के टूटने की पृष्ठभूमि 'काटसा एक्ट' ने तैयार की-** सन् 2017 में आये 'कॉटसा कानून' (CAATSA-Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यदि कोई देश रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे अमेरिका के विरोधी देशों से रक्षा खरीद को सम्पन्न करता है तो उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा। इस कानून के द्वारा अमेरिका ने रूस के खिलाफ साइबर सुरक्षा, कच्चे तेल की परियोजनाओं, भ्रष्टाचार, रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ लेन-देन, हथियारों की खरीद, हथियारों को सीरिया में स्थानांतरित करने आदि मामलों पर प्रतिबंध लगाया। हाल ही में भारत और रूस की 'एस-400' रक्षा खरीद को लेकर भी इस एक्ट के तहत प्रतिबंधों के बादल मंडराये थे किन्तु भारत दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार हाने के नाते इन प्रतिबंधों से बच गया। अत: स्पष्ट है कि 'आईएनएफ संधि' के टूटने का आधार काफी समय से तैयार हो रहा था।
- शीत युद्ध के बचे हुए अंशों ने भी दोनों देशों (अमेरिका व रूस) के बीच काफी अविश्वास पैदा किया। जैसे- नाटो (शीतयुद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ बना संगठन) आज भी जिंदा है और इसके प्रति रूस हमेशा से आशंकित रहा है।
- **रूस द्वारा आक्रामकता या बाहुबल (Muscle Power) का प्रकटीकरण-** रूस ने पश्चिम एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप में अपनी आक्रामकता का परिचय समय-समय पर दिया है। सन् 2014 में रूस ने क्रीमिया (यूक्रेन का हिस्सा) पर अपने बाहुबल के दम पर कब्जा कर लिया था। बाद में भी यूक्रेन समेत अन्य यूरोपीय देशों के अन्दरूनी मामलों में लगातार दखल जारी रखा है।
- **रूस की इकोनॉमी का रक्षा निर्यात पर निर्भर होना-** रूस भी अपने पूर्ववर्ती सोवियत संघ की तरह ज्यादा से ज्यादा हथियारों का निर्यात करके अपनी इकोनॉमी को गति प्रदान करता है। इस स्थिति में अमेरिका जैसे प्रतिद्वंद्वी देश विश्व बाजार में उसके हथियारों को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा देने हेतु उन्नत व भारी मात्रा में परमाणु हथियारों का उत्पादन करना चाहते हैं। अमेरिका द्वारा इस नीति को अपनाने से रूस की कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर करारी चोट लगेगी।

इस संधि के विफल होने पर उभरने वाले मुद्दे

- यह संधि परमाणु हथियारों के विस्तार व संग्रहण को सीमित करती है। ऐसे में यदि अमेरिका व रूस संधि से किनारा करते हैं तो एक बार फिर परमाणु हथियारों के उत्पादन व संग्रहण आदि की प्रक्रियाएं जोर पकड़ सकती हैं, जिससे सिर्फ मानवता के विनाश का परिणाम अपेक्षित होगा।
- रूस और अमेरिका सीरिया, यमन और ईराक जैसे पश्चिमी एशिया के देशों के गृह युद्धों मे अपने-अपने संकीर्ण हितों के लिए संघर्षरत हैं और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध के इस माहौल में यदि इन देशों के पास परमाणु हथियारों का जखीरा होगा तो कोई भी चिंगारी पश्चिम एशिया के क्षेत्र में भारी तबाही लेकर आयेगी।
- जब एक तरफ अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ 'परमाणु अप्रसार संधि' को लेकर गम्भीर है और हाल में दोनों देशों ने इस संबंध में सिंगापुर में शिखर स्तर की बैठक भी की थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग शामिल हुए थे, तब वह (अमेरिका) खुद परमाणु प्रसार की नीति को कैसे अपना सकता है? अमेरिका का यह फैसला नैतिक रूप से ही गलत है। अर्थात् अमेरिका, परमाणु हथियारों के अप्रसार और प्रसार दोनों की एक साथ वकालत नहीं कर सकता है क्योंकि अन्य देश (यथा- ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान आदि) उसके समक्ष प्रश्न खड़ा करेंगे कि जब वह खुद परमाणु हथियारों के प्रसार में संलग्नित है तो उन्हें क्यों रोक रहा है?
- जब दुनिया के बड़े-बड़े देशों के पास परमाणु हथियारों का समृद्ध भण्डार होगा तो वे 'दक्षिण चीन सागर' जैसे वैश्विक विवादों पर और आक्रामक हो सकते हैं जिससे तृतीय विश्वयुद्ध की आशंका और प्रबल होगी। गौरतलब है कि महान वैज्ञानिक आइंसटीन से जब यह पूँछा गया कि तृतीय विश्व युद्ध कब होगा और उसके परिणाम क्या होंगे, तो उनका जवाब था कि उन्हें यह नहीं पता है कि तृतीय विश्व युद्ध कब होगा किन्तु यह पता है कि चतुर्थ विश्व युद्ध कभी नहीं होगा क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक हथियार पूरी मानव सभ्यता को मिटा देंगे।
- जब दुनिया के अधिकांश देश विध्वंसक व खतरनाक परमाणु हथियारों के निर्माण व संग्रहण पर बल देंगें तो ये हथियार 'आतंकवादियों' के हाथों में भी लग सकते हैं, जो इन हथियारों का इस्तेमाल उन्हीं देशों के खिलाफ करेंगे, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। कई विद्वान इसे 'बूमरैंग का सिद्धान्त' कहते हैं। इस सिद्धान्त के तहत उपमा दी जाती है कि जिसने शैतान को जन्म दिया है, एक न एक दिन वह शैतान उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा।

बूमरैंग (Boomerang)

यह एक प्रकार का उपकरण है, जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र निवासी युद्ध और शिकार के लिए करते थे। यदि बूमरैंग को सीध पकड़कर पृथ्वी के समानान्तर दिशा में फेंकते हैं और फेंकते समय यथासम्भव घूर्णन (Rotation) दिया जाता है तो यह 30 गज से अधिक दूरी तक जाने के बाद यह अपने बाईं ओर झुककर आकाश में लगभग 150 फीट तक ऊपर उठता है और फिर वृत्त/वक्र बनाता हुआ पुनः फेंकनेवाले के पास लौट आता है।

- आज जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय चुनौतियाँ सिर उठाए खड़ी हैं तो खतरनाक हथियारों की यह होड़ पर्यावरणीय चुनौतियों में 'आग में घी' का काम करेगी। अमेरिका ने हाल ही में 'पेरिस जलवायु समझौते' से अलग होने की घोषणा की है और पर्यावरण के विनाशक हथियारों के उत्पादन की ओर उन्मुख है तो कहा नहीं जा सकता कि ऐसी बड़ी-बड़ी जिम्मेदार वैश्विक शक्तियाँ विश्व को किस ओर ले जायेंगी?
- दरअसल ट्रंप अब तक की तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों व संस्थाओं को शक की नजर से देखते आ रहे है और उन्हें छोड़ने या उनकी जगह नई व्यवस्था लाने में लगे हैं। संभव है कि इस संधि से बाहर निकलकर वह रूस और चीन पर दबाव बनाना चाहते हों। शायद इसीलिए ट्रंप ने इनमें एक खिड़की खोल रखी है। उन्होने कहा है, रूस और चीन घोषणा कर दें कि दोनों यह समझौता (आईएनएफ संधि) नए सिरे से करने के लिए तैयार हैं तो अमेरिका अपना निर्णय बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और चीन अमेरिका के कहे पर क्यों चलेंगे? जाहिर है, इससे एक नए तरह का संकट खड़ा हो गया है।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'आईएनएफ संधि' को लेकर उभरे विवादों को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद जताई है। अतः यूएन की अगुआई में विश्व बिरादरी को अमेरिका और रूस पर दबाव बनाना होगा कि वे दुनिया को दोबारा सर्वनाश के मुहाने तक न ले जाएँ।

विश्व शांति की आवश्यकता के लिए एवं मानव जाति की प्रगति के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्राथमिक शर्त है। दुनिया इस के विनाश को दो विश्व युद्ध में देख चुकी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव में कहा था कि सभी देशों को मानवता की भलाई के लिए इस बात की गारण टी देनी चाहिए कि वे अपने शस्त्रास्त्रों को उस स्तर तक ही विकसित करेंगे जिससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि शस्त्रास्त्र ही युद्धों और सशस्त्र संघर्षों का कारण होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव 'बान की मून' ने कहा था कि दुनिया यदि अपने आपको परमाणु हथियारों से मुक्त करने में सफल हो जाती है तो इससे न सिर्फ अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को मजबूती मिलेगी बल्कि कई ऐसे संसाधन उभरकर सामने आयेंगे जो सामाजिक-आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण व अप्रसार के संदर्भ में कुछ संधियाँ एवं सम्मेलन निम्नलिखित हैं-

- परमाणु अप्रसार संधि (Non Proliferation Treaty)
- व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, 1996 (Comprehensive Test Ban Treaty, 1996)
- निरस्त्रीकरण सम्मेलन, 1960 (Conference of Disarmament)

उपर्युक्त संधियों को वर्तमान की आवश्यकतानुरूप व्यापक व सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक हैं-

- इनके क्षेत्राधिकार में परमाणु शक्ति सम्पन्न

राष्ट्रों सहित अन्य राष्ट्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

- परमाणु परीक्षणों को धरती के भीतर किए जाने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए।
- इन संधियों को समय सीमा से बाँधना उपयुक्त नहीं होगा, अर्थात् ये अनिश्चित अवधि के लिए होनी चाहिए।
- इनकी प्रकृति भेदभाव रहित व पारदर्शी होना चाहिए।

भारत हमेशा से ही परमाणु निरस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है और हमारी संस्कृति में अनादिकाल से 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात होती आ रही है। अत: भारत को विश्व शांति के लिए आगे आकर लीडरशिप करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

6. संकटग्रस्थ जंगली जानवरों पर लिविंग प्लानेट रिपोर्ट

चर्चा का कारण

मछली, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारी जीवों (कशेरुकी प्राणी) के लिए इंसान अब खतरा साबित हो रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की लिविंग प्लानेट ऑफ द ग्लोबल फंड फॉर नेचर नामक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2014 के बीच कशेरुकी प्राणियों की 60 फीसद आबादी खत्म हो चुकी है। 2010 तक ये आबादी 48 फीसद बाकी थी।विशेषज्ञों ने 1970 से 2014 के बीच के 4005 कशेरुकी प्राणियों की 16704 प्रजातियों की आबादी के विश्लेषण के आधार पर चेतावनी दी है कि अगर इन्हें संरक्षित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए तो जल्द ही ये विलुप्त होने के कगार पर होंगी, जो मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए भी खतरा होगा।

रिपोर्ट यह भी दर्शाते हैं कि कार्रवाई के लिए अवसर तेजी से बंद हो रहे हैं और वैश्विक समुदाय को सामूहिक रूप से पुनर्विचार और पुन: परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है कि हम प्रकृति को कैसे महत्व देते हैं, संरक्षित करते हैं और पुनर्स्थापित करते हैं।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जैव विविधता (सीबीडी) पर सम्मेलन के तहत प्रकृति और लोगों के लिए एक व्यापक रूपरेखा समझौते की मांग कर रहा है, जो जैव विविधता की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए कार्रवाई कर सके।

क्या है रिपोर्ट

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की यह रिपोर्ट वन्यप्राणी जीवन, समुद्री जीवन, झीलों तथा पर्यावरण पर व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रभाव को दर्शाती है।
- इस रिपोर्ट में एक नया खंड शामिल किया गया है जिसे मृदा जैव विविधता का नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वेटलैंड्स का समाप्त होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।
- इस रिपोर्ट में वन्य जीव जन्तुओं के लिए उनके प्राकृतिक आवास का समाप्त होना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, आदि से होने वाले खतरों को भी शामिल किया गया है।
- यह रिपोर्ट मुख्य रूप से कृषि और वनों की कटाई द्वारा प्रकृति को होने वाले अत्यधिक नुकसान की ओर इशारा करती है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की भारतीय ईकाई के अनुसार विश्व भर में 4,000 से अधिक प्रजातियों पर शोध किया गया जिसमें 1970 से 2014 के बीच 60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- इस रिपोर्ट में, विशेष रूप से कशेरुकी प्रजातियों की निगरानी के आँकड़े भी शामिल हैं। जिसे स्तनधारियों, पक्षियों, मछली, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 22,000 से अधिक जनसंख्या की जानकारी वाले डेटाबेस से लिया गया था।

वर्तमान में दुनिया के कुल स्तनधारी जीवों के सिर्फ 4 प्रतिशत जंगली जानवर हैं। वहीं मानव 36 प्रतिशत हैं और पशुधन (पालतू जानवर) 60 प्रतिशत हैं। 80 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को 59 शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मानव ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोककर रख पाते हैं तो भी कोरल मोर्टालिटी (समुद्री जीवों की मौत) 70 से 90 प्रतिशत रहने की संभावना है।

वर्तमान स्थिति

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में विज्ञान और संरक्षण के कार्यकारी निदेशक माइक बैरेट ने कहा, 'हम धीरे-धीरे एक बड़ी चट्टान के किनारे की तरफ झुक रहे हैं और जल्द ही गिर पड़ेंगे। पशु-पक्षियों की आबादी में यह गिरावट उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, चीन और ओशिनिया को खाली करने के बराबर है और हमने यही किया है।' जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन 'लिविंग प्लेनेट इंडेक्स' जारी करता है। यह वन्यजीवन में गिरावट देखने के लिए 4,000 से अधिक प्रजातियों का अध्ययन करता है।

कई वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में पशु-पक्षियों ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होना शुरू कर दिया है, जो कि मानव प्रजातियों के कारण होने वाला पहला बड़ा नुकसान है। हाल ही में किए गए वैज्ञानिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक मानव जाति ने दुनियाभर में स्तनधारियों और पौधों की 83 फीसदी से ज्यादा आबादी को नष्ट कर दिया है। अगर इसे अभी से ठीक करना शुरू कर दें, तो भी इसे पूरी तरह संतुलित होने में 50 लाख से 70 लाख साल तक का वक्त लग जाएगा। विश्व में कुछ विलुप्तप्राय जीवों को इस प्रकार देखा जा सकता है-

स्टालर्स सी काउ: अलास्का और कमाडोर द्वीप के पास बेरिंग सागर में पाई जाने वाली इस विशाल शाकाहारी स्तनपायी समुद्री जीव का नाम है, इसे खोजने वाले जार्ज स्टालर्स के नाम पर रखा गया था। व्यस्क होने पर इसकी लंबाई करीब 8 से 9 मीटर हो जाती है और वजन 10 टन तक पहुंच सकता है। विडंबना यही है कि इस विशाल शरीर के चलते ये मासूम जीव अपने आप को समुद्र की गहराई में छुपा नहीं पाता और शिकारियों के लिए इस तक पहुंचना आसान हो जाता है। अपनी तलाश के महज 27 साल बाद ही ये जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था।

पैसेंजर पिजन: उत्तरी अमेरिका और उसके आसपास के जंगलों में पाया जाने वाला पैसेंजर

पिजन या जंगली कबूतर के नाम से मशहूर ये पक्षी 20वीं सदी की शुरूआत से ही गायब होने लगा था। ऐसा माना जाता है जब 19वीं सदी के अंत में अन्य यूरोपीय देशों से आये लोगों की भीड़ के कारण जंगलों को काटा गया तभी से इन कबूतरों की संख्या कम होने लगी थी। उसके बाद के सालों में अमेरिका में कबूतर का मांस सस्ता होने के कारण यह गरीब लोगों का मुख्य भोजन बन गया। इस वजह से भी पैसेंजर पिजन की जनसंख्या में भारी कमी आई। फिल्हाल 1914 के बाद ऐसे कबूतर दिखने की घटना नहीं सुनी गई।

पाइरेनियन आइबेक्स: स्पेसनिश आइबेक्स या इबेरियन बकरी की चार उपप्रजाति में से एक पाइरेनियन आइबेक्स पाइरेनियन प्रायद्वीप में पाई जाती है। 60 से 76 मीटर लंबी इस आइबेक्स का वजन करीब 24 से 80 किलो के बीच होता है। किसी जमाने में इनकी तादात 50,000 के करीब आंकी गई थी पर साल 1900 के बाद तेजी से घटते हुए अब इनकी संख्या 100 से भी कम रह गई है। 2000 के बाद अब तक एक भी पाइरेनियन आइबेक्स देखे जाने की बात सामने नहीं आई है हालांकि विशेषज्ञ इनके गायब होने की वजह के बारे में विश्वास से कुछ नहीं कह पाये हैं।

बाइजी व्हाइट डॉल्फिन: ये विशेष डॉल्फिन केवल चीन की यांग्जी नदी में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग आठ फीट और वजन चौथाई टन का होता है। कहते हैं कि यांग्जी नदी लगभग 20 मिलियन साल से इनका निवास है। विभिन्न भ्रांतियों, जैसे इनकी आंख की पुतलियों से कमजोर आंखों वालों के लिए कारगर दवा बन सकती है, के चलते इनका भारी तादात में शिकार किया जाने लगा। 1950 से इनकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई। इसके बाद हालांकि इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित नहीं किया गया है पर 2002 के बाद यांग्जी नदी में एक भी बाइजी व्हाइट डॉल्फिन देखे जाने की खबर नहीं आई।

वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोर: विलुप्त होने की कगार पर आ चुका ये काले रंग का पश्चिमी अफ्रीकन गैंडा कई देशों में पाया जाता रहा है। इसकी सामान्य लंबाई 3 से 3.8 मीटर तक होती है। एक व्यस्क काले गेंडे का भार 800 से 1300 किलो के बीच होता है। इसके चेहरे पर दो सींग होते हैं। भारी शिकार के चलते इसकी घटती संख्या को देख कर शिकार पर रोक लगाने के बावजूद इसे बचाना मुश्किल होता गया। आखिरी बार कैमरून के जंगल में एक ब्लैक राइनोसोर देखा गया इसके बाद 2011 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया।

भारत की स्थिति

भारत विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों और मछलियों का आवास स्थल है जिसमें बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, सूअर आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण कृषि पशु भी शामिल हैं। भारत वन्य जीवों जैसे कि बंगाल टाइगर, हिरण, भेड़िया, अजगर, भारतीय शेर, भालू, सांप, बंदर, कई प्रकार के जंगली बैल, एशियाई हाथी और मृग प्रजातियों वाला देश है। भारत दुनिया के सत्रह विशाल विविधता वाले देशों में से एक है। भारत सहित, यह सत्रह बड़े विविध देश, दुनिया के जैव विविधता के लगभग 60-70% के निवास स्थल हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत-बर्मा पूरे विश्व में कुल 34 में से तीन जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्र हैं।

भारत के पास दुनिया की कुल 6 वन्य जीव प्रजातियों में से 5% हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें सभी स्तनधारियों के 7.6% और सभी पक्षी प्रजातियों के 12.6% शामिल हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) रेडलिस्ट द्वारा 2016 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पक्षियों की 15 प्रजातियां, स्तनधारियों की 12 प्रजातियां और सरीसृप और उभयचर की 18 प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल हो गई हैं।

आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के विलुप्त होने का उच्चतम जोखिम है। विशिष्ट प्रजातियां लुप्तप्राय हैं या नहीं यह निर्धारित करने के मूलरूप से पाँच तरीके हैं।

संकटग्रस्त क्यों?

- प्रजातियों की एक सीमित भौगोलिक सीमा होती है।
- 50 से कम वयस्क प्रजाति की बहुत सीमित या छोटी आबादी।
- क्या पिछली तीन पीढ़ियों या 10 वर्षों के लिए आबादी में 80% से अधिक की कमी आई या कमी होगी।
- यदि प्रजाति की आबादी 250 से कम है और पिछली एक पीढ़ी या तीन साल के लिए लगातार 25% कम हो रही है।
- वन्य जीवों के विलुप्त होने की एक उच्च संभावना है।

भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, भारतीय शेर, भारतीय गेंडा, गौर, शेर जैसी पूंछ वाला अफ्रीकी लंगूर, तिब्बती हिरन, गंगा नदी डॉल्फिन, नील गिरि तहर, हिम तेंदुए, ढोल, काली बतख, महान भारतीय बस्टर, जंगली उल्लू, सफेद पंख वाली बतख और कई अन्य भारत में सबसे लुप्तप्राय प्रजातियां हैं।

खतरे के कारण

इंसानों से खतरा: दुनियाभर से शामिल 59 वैज्ञानिकों के पैनल ने 20 सालों के अध्ययन पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसके मुताबिक घटते जंगल, बढ़ता प्रदूषण, इंसानी आबादी का घनत्व, पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित मानव उपभोग मुख्य वजह है। पृथ्वी के तकरीबन एक चौथाई हिस्से पर इंसानी गतिविधियां की वजह से कशेरुकी प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा विलुप्त जीवों का शिकार भी अहम कारण है। सबसे अधिक खतरा ताजे पानी में रहने वाले जीवों के लिए बढ़ रहा है। नदियों और झीलों के प्रदूषण की वजह से 83 फीसद जलीय जीव आबादी खत्म हो चुकी है।

प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग: वैश्विक स्तर पर प्रकृति सालाना तकरीबन ताजा हवा, स्वच्छ पानी, खाद्य सामग्री और ऊर्जा के रूप में 125 लाख करोड़ डॉलर की सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन पिछले 50 सालों में प्राकृतिक संसाधनों की खपत तकरीबन 190 फीसद तक बढ़ी है और इंसानों द्वारा बढ़ता दुरुपयोग खतरा बन रहा है।

घटते जंगल व वनस्पति: पिछले 50 सालों में 20 फीसद अमेजन के जंगल और 30 से 50 फीसद मैंग्रोव (कच्छ वनस्पति) नष्ट हो चुकी हैं। वहीं 30 सालों में 50 फीसद उथले पानी में समुद्री शैवाल खत्म हुए हैं।

लगेंगे लाखों साल

मानव सभ्यता की शुरुआत से अभी तक 83 फीसद स्तनधारी जीव और 50 फीसद पेड़-पौधे खत्म हो चुके हैं। पृथ्वी को दोबारा पहले जैसा बनाने में 50 से 70 लाख साल लगेंगे।

प्रजातियों के खतरे के लिए प्राथमिक कारणों में से एक आवास की कमी है। आज, प्राकृतिक

परिदृश्य के विनाश में मानव हस्तक्षेप एक प्रमुख कारण है। असंख्य प्रजातियों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करने वाले पेड़ों की कटाई, खनन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियाँ लुप्तप्राय होने का प्रमुख कारण है।

शिकार और अवैध शिकार करने से दुनिया भर में जानवरों और मछलियों की संख्या पर एक बहुत ही विनाशकारी और विपत्ति पूर्ण प्रभाव पड़ता है।

प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अपशिष्ट प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक के रूप में पशु प्रजातियों के लिए खतरे में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रदूषण न केवल मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कारण है, बल्कि यह जानवरों को भी प्रभावित करता है।

जानवरों को शिकार और अवैध शिकार से बचाने के लिए उन्हें अक्सर अभ्यारण्य और आश्रय में रखा जाता है। कुछ जानवरों के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, हालांकि अन्य जानवर भी हैं जो खतरे में पड़ने से पीड़ित हैं और मुसीबत में हैं। इसके मुख्य दो कारण हैं भीड़ और अत्यधिक चराई। आमतौर पर बहुत सारे जानवर छोटे क्षेत्रों में सीमित होते हैं। ये जानवर अक्सर एक सीमित इलाके में घास और पेड़ खाते हैं, जबकि प्राकृतिक परिवेश में चराई वाले जानवर खासतौर पर खा रहे भोजन को बदलते रहते हैं और अधिक समय तक आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक सीमित और छोटे क्षेत्र में वे उन्हीं पौधों से बार-बार खाते हैं और अत्यधिक तनाव के कारण पौधों को नष्ट कर देते हैं।

लुप्तप्राय पशुओं को बचाने के कुछ तरीके

- अगर दुनिया भर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है तो दुनिया भर में जानवरों, मछलियों और पक्षियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- लुप्तप्राय जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, कई प्रजनन कार्यक्रम पेश किए गए हैं। सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों को इस महान उद्देश्य के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रम में समर्पित और विशेष लोगों तथा निश्चित रूप से बहुत धन की आवश्यकता है।
- लुप्तप्राय जानवरों को अपनी संख्या में एक बार वृद्धि के बाद जंगलों में पुनः अपना जीवन शुरू करना कुछ मामलों में सफल हो गया है, हालांकि सभी प्रजातियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
- यदि शिकार और अवैध शिकार को नियंत्रित किया जा सकता है तो लुप्तप्राय पशुओं की संख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।

वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- जम्मू-कश्मीर (इसका अपना अधिनियम है) को छोड़कर सभी राज्यों ने, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम को 1972 में अपनाया है जो खतरे में आने वाली और दुर्लभ प्रजातियों के किसी भी प्रकार के व्यापार को रोकता है।
- लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को हर प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 1970 में बाघ के शिकार पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभावी हुआ था। नवीनतम बाघ गणना (2015) के अनुसार, बाघों की आबादी में कुल 30% की वृद्धि हुई है। 2010 में, बाघों की गणना के अनुसार भारत में 1700 बाघ बचे थे, जो 2015 में 2226 हो गए।
- सरकार द्वारा अनगिनत संख्या में नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, पार्क आदि की स्थापना की गई है।
- 1992 में, देश में प्राणी उद्यान के प्रबंधन के पर्यवेक्षण के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजीए) शुरू किया गया था।
- 1996 में, वन्य जीव सलाहकार समिति और वन्य जीव संस्थान वन्य जीव संरक्षण को उससे संबंधित मामलों की विभिन्न विशेषताओं पर सलाह मांगने के लिए स्थापित किया गया था।

भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने कई अन्य पहल की हैं।

भारत पाँच मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हिस्सा है जो वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हैं। वे हैं- (i) लुप्तप्राय प्रजातियों (सीआईटीईएस) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, (ii) वन्यजीव तस्करी (सीएडब्ल्यूटी) के खिलाफ गठबंधन, (iii) अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कमीशन (आईडब्ल्यूसी), (iv) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन- विश्व धरोहर समिति (यूनेस्को- डब्ल्यूएचसी) और (v) प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएचएस)।

गिद्ध संरक्षण परियोजना (2006), गिर सिंह परियोजना (1973), हाथी परियोजना (1992), हंगुल परियोजना (1970), कस्तूरी मृग परियोजना (1970), लाल पाण्ड परियोजना (1996), मणिपुर थामिन परियोजना (1977), कछुआ संरक्षण परियोजना (1975), गैंडा संरक्षण परियोजना (1987) एवं घड़ियाल प्रजनन परियोजना (1975) आदि भारत सरका द्वारा चलाए जा रहे हैं।

आगे की राह

मानव सभ्यता की शुरुआत से अभी तक 83 फीसद स्तनधारी जीव और 50 फीसद पेड़-पौधे खत्म हो चुके हैं। पृथ्वी को दोबारा पहले जैसा बनाने में 50 से 70 लाख साल लगेंगे। दुनिया भर के पर्यावरणवादी लगातार यह दोहराते रहते हैं कि जैव विविधता संकट में है, इसे बचाने की जरूरत है, पर हम पर्यावरण और परिवेश से संबंधित मामलों को महज एक अकादमिक बहस मानकर इनसे मुंह फेर लेते हैं, या इस पर सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़ आयोजित करके अपना कर्तव्य समाप्त मान लेते हैं। जबकि जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरी जीवन-पद्धति में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। पर्यावरण से संबंधित जो कानून बने हैं, उनका सख्ती से पालन करना होगा। विकास योजनाओं का स्वरूप ऐसा रखना होगा, जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो।

मनुष्य इस पृथ्वी पर अकेले नहीं जी सकता। उसे प्राणि जगत की जरूरत है। पशुओं की प्रजातियों के खत्म होने से खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा सकती है और दूसरे कई तरह के संकट पैदा हो सकते हैं। पशु-पक्षियों के प्राकृतिक निवास को बचाने के लिए जंगलों, नदियों और पहाड़ों का संरक्षण जरूरी है। विकास का जीडीपी-केंद्रित नजरिया इसके खिलाफ जाता है। लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं पर यह पर्याप्त नहीं हैं। इस महान कार्य में आगे आने के लिए और अधिक गैर-सरकारी संगठनों और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्रों की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. भारत में भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता

चर्चा का कारण

दशहरे की शाम को अमृतसर में हुई रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोगों के असमय मारे जाने से पूरा देश गम में डूब गया। इस घटना से लोगों के स्तब्ध होने की बड़ी वजह यह भी रही कि इसे थोड़ी सी सतर्कता और सजगता से टाला जा सकता था। इस दुःख से देश उबरा नहीं कि कोलकाता के संतरागाछी में रेलवे ओवरब्रिज पर हुई भगदड़ में कई लोग मारे गए। यहाँ भी खुद लोगों में अपनी जान को जोखिम में डालने की अधीरता ही दिखी। ये चंद मामले ही नहीं है, पूरे देश में हर साल चार लाख लोगों की इसी तरह मौत हो जाती है जिसे समाज और शासन-प्रशासन के स्तर पर जरा सी सजगता और सतर्कता से टाला जा सकता है।

बड़ी संख्या में लोगों के असमय काल-कवलित हो जाने के प्रमुख कारण

इन कारणों को प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-

प्राकृतिक कारण

- भारत जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले देशों में बिजली गिरने से अभी भी काफी मौतें हो रहीं हैं। प्रकृति के कोप से मरने वाले कुल लोगों मे 10 फीसद हिस्सेदारी केवल आकाशीय बिजली या वज्रपात की है। 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो' के आँकड़े बताते हैं कि हर वर्ष ढाई हजार से ज्यादा लोग वज्रपात के शिकार हो जाते हैं।
- भारी वर्षा, बादल फटने की घटना, लू चलने और चक्रवात आदि से भी भारी संख्या में लोग हताहत होते हैं।

अप्राकृतिक कारण

'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो', टाली जा सकने वाली मौतों के आँकड़ों को अप्राकृतिक दुर्घटनाओं की श्रेणी में रखता है। इस सरकारी संस्था के अनुसार भारत में मरने वाले कुल लोगों में लगभग 90 प्रतिशत योगदान अप्राकृतिक दुर्घटनाओं का है। ब्यूरो कहता है कि वर्ष 2004 से 2015 के बीच अप्राकृतिक या टाली जा सकने वाली मौतों का आँकड़ा 39 लाख के करीब है।

- भारत में सर्वाधिक मात्रा में सड़कें जाने ले रही हैं, अर्थात् लोगों की असमय मौत का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएँ हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो कहता है कि पिछले 12 वर्षों में लगभग 15 लाख लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा है और यह आँकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा 'सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय' के अनुसार 2017 में 4,64,910 सड़क हादसों में 1,47,913 लोग मारे गए और 4,70,975 लोग घायल हुए तथा 2008 से 2017 के बीच सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 23.4 फीसद इजाफा हुआ है। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले प्रति सौ लोगों में 87 फीसद लोग कार्यशील होते हैं, जो अपने परिवार की आजीविका का प्रमुख स्रोत होते हैं।
- देश की धड़कन कही जाने वाली रेलवे लोगों की धड़कन बंद करने के मामले में तीसरे स्थान पर है क्योंकि दूसरी वजह पानी में डूबने की है, इसमें आठ हजार की संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मृत्यु नाव में डूबने के हादसों में हुई है। हाल ही में असम में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव के पलटने से कई लोगों की मौत हो गई।
- पिछले एक दशक में रेल मंत्रालय की लापरवाही से करीब तीन लाख लोग ट्रेनों की चपेट में आ चुके हैं।

भीड़ आपदा के लिए कौन जिम्मेदार?

हर्ष और उल्लास से भरे खुशनुमा माहौल को भयंकर हादसे और दर्दनाक मातम में बदलने में बस एक क्षण ही लगता है। बदलते परिवेश के साथ तेजी से बदलती सामाजिक सोच और व्यवहारिकता पर एक नजर डालें तो पाते हैं कि आज जन-सुविधाएँ और उत्सव मनाने के तरीके बदले, जनसंख्या बढ़ी, आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन हमने इन सब बदलावों के मद्देनजर अपने संसाधनों को नहीं बदला। अमृतसर का ट्रेन हादसा एक उदाहरण है। कहा जा रहा है जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पिछले 30 साल से रावण जलाया जा रहा है लेकिन देखा जाए तो जगह व भीड़ प्रबंधन के अन्य संसाधन तो आज भी वही हैं जो 30 साल पहले थे जबकि इसके विपरीत जनसंख्या कई गुना ज्यादा हो चुकी है।

निश्चित तौर पर भारत में भीड़ प्रबंधन के लिए संसाधनों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता इस प्रकार की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ सरकार को सौंपती है, जिसके लिए सरकार लोगों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लेती है। किन्तु देखने में आ रहा है कि ऐसी अवांछनीय घटनाओं में कमी आने की बजाए साल दर साल इनकी बारम्बारता व सुभेद्यता में बढ़ोत्तरी आ रही है। अतः राज्य अपने सुशासन की जिम्मेदारी उठाने में कहीं न कहीं फेल साबित हो रहा है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठना स्वभाविक है कि क्या इस प्रकार के दर्दनाक हादसों को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की ही है, समाज या खुद इंसान की नहीं? सुरक्षा हर इंसान की निजी जिम्मेदारी भी है तथा इस बात को खुद समझने व दूसरों को भी समझाने की जरूरत है।

आपदा से होने वाले नुकसान

- अप्राकृतिक व लापरवाही से होने वाली मौतों से हर साल बड़े पैमाने पर कार्यशील आबादी का नुकसान हो रहा है। ये वे लोग होते हैं जिनके ऊपर किसी परिवार का पूरा दारोमदार होता है। कमाई के मुख्य जरिए के चले जाने के बाद पूरा परिवार आर्थिक तंगी और बदहाली के मकड़जाल से घिर जाता है।
- भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में मेलों, धार्मिक आयोजनों या किसी अन्य सार्वजनिक जगह में भारी संख्या में भीड़ इकठ्ठा होती है, यदि इस जगह कोई भी चिंगारी जन्म लेती तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं जिनमें महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग और वृद्ध जनों की संख्या काफी अधिक होती है।
- संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार, सड़क हादसों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल उसकी जीडीपी का 3 फीसद नुकसान होता है। यह रकम करीब 58 अरब डॉलर होती है। यानी हम अपनी सड़कों पर एक भी हादसे न होने दे तो सात-आठ फीसद की दर से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था सीधे दोहरे अंकों में कुलांचे भरने लगेगी।
- दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का जीवन पूर्ववत तरीके से पटरी पर नहीं लौट पाता है। एक अध्ययन के मुताबिक, हादसे में घायल होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी छूट जाती है और दिव्यांग हो चुके लोगों को नए सिरे से नौकरी खोजने में मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर नौकरी मिलती भी है तो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसी काम के लिए उन्हें काफी कम वेतन मिलता है।
- भारत में बीमा का ढाँचा विकसित देशों की तरह उतना समृद्ध नहीं है, अतः हादसे में

घायल हुए व्यक्तियों को अपनी जमा पूँजी से भारी भरकम इलाज का खर्च उठाना पड़ता है और इस प्रक्रिया में कभी-कभी उनकी पैतृक सम्पत्ति तक बिक जाती हैं।

- हादसे में अपनों को खोने व गंभीर रूप से घायल होने पर लोग मानसिक तौर पर बुरी तरह टूट जाते हैं। कुछ लोगों में तो जीवन के प्रति अरूचि पैदा हो जाती है। इस तरह के प्रभाव बहुत दीर्घकालिक व गंभीर प्रकृति के होते हैं।

आपदा प्रबंधन हेतु किए गए सरकारी प्रयास

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009:** इस नीति को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सन् 2009 में अनुमोदित किया, इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर निवारण, तैयारी और प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - प्रौद्योगिकी और पारम्परिक ज्ञान पर आधारित आपद प्रबंधन के उपायों को प्रोत्साहित करना।
  - आपदा प्रबंधन को विकास योजना की मुख्य धारा में शामिल करना। समर्थकारी नियामक वातावरण और सहमति प्रणाली तैयार करने के लिए संस्थागत और तकनीकी-विधिक ढाँचे स्थापित करना।
  - आपदा जोखिमों के निर्धारण, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रतिक्रियाशील और अचूक सम्प्रेषण (Communicating) पर आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना।
  - जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के साथ लाभकारी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा क्षमता विकास में योगदान देना।
  - समाज के संवेदनशील वर्गो की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदाराना दृष्टिकोण के साथ प्रभावी कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना।
  - अधिक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोध ढाँचे और निवासों का निर्माण करने के अवसर के रूप में पुनर्निमाण कार्य करना।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किए गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढाँचे नहीं हैं तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढाँचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन/समाधान (Assuagement) पर अधिक बल दिया गया है।
- **राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई (NDRF):** किसी भी आपदा से निपटने के लिए 'कार्य बल' (Work Force) अत्यंत ही आवश्यक है इसलिए 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत 'एनडीआरएफ' का गठन किया गया। इस कार्यबल का निर्देशन और नियंत्रण 'एनडीएमए' द्वारा किया जाता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM):** अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर यह संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान, राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं का प्रलेखन (Documentation) और क्षमता विकास आदि जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसके अलावा यह संस्थान 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण' द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों के तहत आपदा प्रबंधन अधिकारियों को प्रशिक्षित भी करता है। इस संस्थान की 1995 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

आगे की राह

- आपदाएं प्रगति में बाधा डालती हैं तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधी प्रयासों के फल को नष्ट कर देती हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती हैं। अतः आपदाओं के घटित होने पर ही कार्रवाई करने की बजाय उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देना होगा।
- 1994 में जापान के याकोहामा शहर में आयोजित एक सम्मेलन में आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गयी, जिसे 'याकोहामा रणनीति' के नाम से जाना जाता है। इसमें 'भीड़ आपदा' की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु 'आपदापूर्व प्रबंधन' के तहत निम्नलिखित बातें पर बल दिया-
  - भारी संख्या में इकठ्ठी हुई भीड़ के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना (रोड, गलियारे, खाली व खुला स्थान, प्रवेश एवं निकास) के विकास को सुनिश्चित करना।
  - हमें एक बेहतर भीड़ प्रबंधन योजना को अपनाना चाहिए जिसमें भीड़ निगरानी हेतु एक सक्षम तंत्र उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भारत के कुम्भ मेला का उदाहरण दिया जा सकता है, यहाँ यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो करोड़ों की भीड़ का कुशल प्रबंधन सरकार, नागरिक समाज एवं अन्य वालंटियरों द्वारा किया जाता है।
  - हमें एक बेहतर चिकित्सा प्रणाली को तैयार रखना होगा ताकि आवश्यकता के क्षणों में त्वरित प्रतिक्रिया की जा सके। इस संबंध में मेलास्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि ऐसे प्रत्येक स्थान पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध रखनी चाहिए जहाँ-जहाँ भीड़ के गतिविधि की संभावना हो।
- अकुशल व भ्रष्ट प्रशासनिक एवं राजनीतिक तंत्र इस तरह की घटनाओं के लिए प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। इस संबंध में अमृतसर के पुलिस अधिकारी ने कहा था कि राजनेताओं की जिद के चलते बिना आज्ञा के ही ऐसे अप्रबंधित आयोजन होते हैं। इसलिए सरकार को सुशासन की भावना को मजबूत करते हुए ऐसे हर कृत्य को कुन्द करना होगा, जो इस तरह की घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं।
- रेलवे भले ही केन्द्र सरकार के अधीन आती है और कानून व्यवस्था मुख्यतः राज्य सरकारों का मामला है लेकिन अमृतसर जैसी आपदाओं को रोकने के लिए दोनों मशीनरियों के बीच समन्वयन अत्यंत आवश्यक है।
- किसी की आपदा के पूर्व व पश्चात प्रबंधन हेतु स्थानीय प्रशासन और स्थानीय समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः सरकार को चाहिए कि स्थानीय प्रशासन को समय-समय पर उचित प्रशिक्षण देना चाहिए व आपदा को रोकने हेतु स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन' पर बल देना होगा।
- यदि यह अपेक्षा की जाती है कि 'नए भारत' में युवा आपदा के प्रति जागरूक हों तो सरकार को स्कूली पाठ्यक्रम में इस शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा तथा एनसीसी जैसे कैडरों को भी इस हेतु प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

प्र. वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते है? महिलाओं को वित्तीय समावेशन कि आवश्यकता को बताते हुए? इस संदर्भ में सुझाव दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वित्तीय समावेशन क्या है?
- वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों?
- वर्तमान स्थिति
- सरकारी पहल
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का करण

- हाल ही में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में बैंक खातों तक महिलाओं की कम पहुँच है। इसको लेकर सरकार द्वारा जहाँ चिंता व्यक्त की जा रही है।
- वहीं इस दिशा में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए उन्हें बैंकों से जोड़ने के साथ महिलाओं को उचित ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराके उद्यमिता संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा दे रही है। जिससे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के मदद से कारोबार शुरू कर सके।

वित्तीय समावेशन क्या है?

- आम तौर पर यह माना जाता है कि वित्तीय समावेशन किसी शख्स के विकास में प्रोत्साहन की तरह काम करता है।
- वित्तीय समावेशन लोगों और अर्थव्यवस्था के बीच कड़ी मुहैया कराकर वित्तीय अभाव को दूर करता है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों?

- असंगठित स्तर पर महाजनों से कर्ज उठाना आसान है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी ऊंची दर पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर वे कर्ज के जाल में फंस जाती हैं और उन्हें गिरवी रखी हुई अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ जाती है।
- इसके अलावा, अगर हम वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में महिला सशक्तीकरण की बात करें तो यह सिर्फ कर्ज की सुविधा भर उपलब्ध कराने का मामला नहीं है। इसका एक और पहलू बचत के लिए सुरक्षित, आसान और व्यावहारिक अवसर मुहैया कराना भी है।

वर्तमान स्थिति

- गौरतलब है कि 2011–17 के दौरान 15 साल के ऊपर की 77 फीसदी महिलाओं के पास बैंक खाता था। ग्लोबल फिन्डेक्श 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार इन आँकड़ों में 2011 के पश्चात् 51 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई इस बढ़ोत्तरी की मुख्य वजह मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गई देश व्यापी योजना प्रधान मंत्री जनधन योजना है, जिसका मकसद देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है।
- यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे सेवाओं को जरूरी बनाता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं से भी जुड़ा है। इस संदर्भ में यहाँ हम सरकार द्वारा महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बलवती बनाने के सरकारी प्रयासों को देख सकते हैं।

सरकारी पहल

- स्टार्ट अप इंडिया के तहत भारत सरकार स्टार्ट अप को प्रोत्साहित और पोषित करते हुए उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। उल्लेखनीय है कि यह जनवरी 2016 में शुरू किया गया ताकि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त किया जा सके।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। ताकि उनके लिए आजीविका का सृजन किया जा सके। इस कार्यक्रम का शुल्क सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए जो पहल शुरू की गई वह अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल है। बावजूद इसके इसमें महिलाओं की भागीदारी कम है वहीं बड़ी संख्या में ऐसे खातें जिरों बाइलेंस के है।
- महिलाओं के आर्थिक योगदान को समाज में जाहिर ना होने देना वित्तीय समावेशन के मार्ग में एक अन्य बाधा है।

आगे की राह

- कर्ज के कारण किसान का खुदकुशी करना, गरीब महिला का बैंक खाते के संचालन में सक्षम नहीं होना, श्रमिक द्वारा अपने बचत को सही जगह रखने में अक्षम होना और अन्य ऐसे उदाहरण जरूरतों की एक आम प्रकृति की तरफ इशारा करते है पैसे की जरूरत, संगठित संस्थाओं की जरूरत और जाहिर तौर भारत में वित्तीय समावेशन की सख्त जरूरत है।

- हालांकि, वित्तीय समावेशन की अवधारणा अब भी शुरुआती दौर में है और इसके विश्लेषण में सीखने संबंधी मॉडलों और अन्य चीजों को शामिल कर इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है। ■

आधुनिक बाजार के लिए प्रतिस्पर्द्धा कानून, 2002 की समीक्षा

प्र. 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कानून, 2002', इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टैक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसी उच्च प्रौद्योगिकियों के वर्तमान दौर में कहाँ तक प्रासंगिक है? आलोचनात्मक टिप्पणी करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की समीक्षा क्यों?
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- वित्त मंत्रालय ने 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' (Competition Act, 2002) के समीक्षा हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया है क्योंकि 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर अब तक लगभग डेढ़ दशकों में प्रतिस्पर्द्धा के मायने व सिद्धान्त काफी तीव्र गति से बदले हैं।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

- भारत सरकार ने राघवन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ-साथ व्यापार व उद्योग संघों, आम जनता आदि के परामर्श के बाद सन् 2002 में 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' को पारित किया।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की समीक्षा क्यों?

- विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है और भारत दुनिया की पाँच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके प्रगति करने की असीम सम्भावनाएँ हैं। इस संदर्भ में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम को सशक्त करने की आवश्यकता है।
- इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबिटिक्स जैसी उच्च प्रौद्योगिकियों के वर्तमान दौर में उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु 'भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग' को सशक्त बनाने के लिए इस अधिनियम की समीक्षा आवश्यक है क्योंकि यह आयोग इसी अधिनियम से निर्देशित होता है।

निष्कर्ष

- मुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में प्रतिस्पर्द्धा एक संचालक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है। भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देश को उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्चता प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। क्योंकि राज्य, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को अपने हाँथ में नहीं ले सकता, अतः सरकार को सुशासन की अवधारणा के तहत एक सशक्त व निष्पक्ष नियामिकीय ढाँचा उपलब्ध कराना होगा। ■

संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर गहराता संकट

प्र. पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर हस्तक्षेप का आरोप लग रहा है। इन संस्थाओं का उल्लेख करते हुए इनके उपर बढ़ते हस्तक्षेप के प्रभाव की चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- मामला क्या है?
- वर्तमान स्थिति
- सरकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की सीमा
- प्रभाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार पर संवैधानिक या सांविधिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनके कामकाज में दखल देने का आरोप लग रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ वर्तमान सरकार के ऊपर लग रहा है बल्कि इसके पहले के सरकारों पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं।

मामला क्या है?

- गौरतलब है कि सीबीआई ने राकेश अस्थाना और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से घूस लेने के आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मोइन कुरैशी के उपर धनशोधन और भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हो चुके हैं।
- सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिसम्बर 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पाँच बार रिश्वत दी गई है। घूसखोरी के मामले में एफआईआर के बाद अब सीबीआई ने अस्थाना पर फर्जीवाडे और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है।

वर्तमान स्थिति

- यदि संस्थाओं की स्वायत्तता की बात की जाय तो आजादी के बाद से ही कई संस्थाओं को सरकार अपने तरीके से चलाने में सक्रिय दिखी। देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है जब पूरे देश पर तत्कालीन सरकार की मनमानी चली चाहे व सरकारी और गैर सरकारी एजेंसिया हो।
- वर्तमान सरकार के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अभी-अभी राफेल विवाद को सीबीआई विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, रिजर्व बैंक, सर्तकता आयोग आदि संस्थाओं पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है।

सरकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की सीमा

- बहुत सी सरकारी संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि संवेदनशील काम करती है। इन्हें पूरी तरह से स्वायत्तता दे देना सरकार के लिए सही निर्णय नहीं होगा। बहुत से मामलों में देखा गया है कि इन संस्थाओं के प्रमुख ही अनुचित कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हो सकता है।
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का सभी राजनैतिक दलों ने स्वागत किया। परंतु कुछ समय बाद उनकी बढ़ती हुई मनमानी को देखकर निर्णय लिया गया कि अब एक की जगह तीन चुनाव आयुक्त होंगे।

प्रभाव

- सरकार के सभी कार्यों को सिर्फ कार्यपालिका नहीं कर सकती है इसलिए ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं का होना अतिआवश्यक है। यदि इन संस्थाओं पर रोक लगाया गया तो जरूरी लोकहित के कार्य प्रभावित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि ये संस्थाएँ चेक एण्ड बैलेन्स का कार्य करती है इसलिए इन संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है।

निष्कर्ष

- समय के साथ बदलना और परिस्थितियों का सही तरीके से उपयोग करना ही विकास की सफलता की कुंजी है। लेकिन जब बदलाव बेवजह और अन्याय पूर्ण हो तथा उससे एक गलत प्रचलन का आरंभ हो तो वह विकास के गति की रफ्तार को कम कर देती है।
- तमाम उठा-पटक के बावजूद भारत का लोकतंत्र समय के साथ और मजबूत हुआ है जिसमें कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग एवं केंद्रीय बैंक जैसी संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ■

भारत-भूटान सम्बन्ध एक बेहतर भविष्य की ओर

प्र. भारत-भूटान संबंधों में सहयोग क्षेत्र का जिक्र करते हुए इसके समक्ष उपस्थिति चुनौतियों कि चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सहयोग क्षेत्र
- भारत भूटान सहयोग संधि
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत-भूटान संबंधों के जहाँ 50 वर्ष पूरे हुए वहीं दूसरी तरफ भूटान में हुऐ चुनाव ने भारत का ध्यान अपनी तरफ खीचा है विदित हो कि भूटान में राष्ट्रीय सभा के चुनाव दो चरणों में पूरे हुए चुनाव में ड्रक नियामरप सांगपा या डीएनटी को चुनाव में जीत मिली है। डीएनटी के अध्यक्ष डॉ. स्वजंल शेरिंग भूटान के नए प्रधानमंत्री होंगे।

सहयोग क्षेत्र

- भूटान की भौगोलिक स्थिति के कारण ये दुनिया के बाकि हिस्सों से कटा हुआ था। लेकिन हाल ही मे भूटान ने दुनिया में अपनी जगह बना ली है। हाल के दिनों के दौरान भूटान ने एक खुली-द्वार नीति विकसित की है। दुनिया के कई देशों के साथ राजनीतिक संबंधों को भी इस देश के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत भूटान सहयोग संधि

- भारत और भूटान ने 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह हिमालयी देश भारत को सुरक्षा प्रहरी के रूप मे मानता है। भारत भूटान संधि को भूटान की विदेश नीति के तौर पर देखा जाता है। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी तो भूटान ने चीन को संभावित खतरे के रूप मे देखा। इससे भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। मैत्री संधि के मुताबिक भूटान को विदेशी संबंधों के मामलों में भारत को शामिल करना होता था।
- लेकिन साल 2007 में इसमें संशोधन किया गया। इसके मुताबिक अब सिर्फ भारत के हितों संबंधी मामलों पर ही भूटान भारत की राय लेगा। संशोधित मानदंडों के तहत भूटान को अब हथियार आयात करने पर भारत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

जलविद्युत सहयोग

- भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत निर्यात पर निर्भर करती है। भूटान में भारतीय कम्पनी टाटा पावर द्वारा एक पनबिजली बाँध निर्मित किया गया है। इससे न केबल भूटान में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि इस बाँध द्वारा उत्पादित बिजली भारत की बढती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को निर्यात भी की जाती है ।इससे भूटानी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है।

राजनयिक सहयोग

- भारत ने भूटान को लोकतंत्र के सफल कार्यान्वयन में भरसक सहायता का वचन दिया है। दोनों देशों के उच्चतम स्तर के सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच नियमित यात्राओं की परंपरा बन गई है। उदाहरण के लिए, 2014 में, हमारे प्रधान मंत्री ने चुने जाने के बाद भूटान को अपना पहला देश चुना।अच्छे राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए भारत भूटान को विदेशी सेवा अधिकारी भेजता है।

आर्थिक सहयोग

- भूटान द्वारा 1960 के दशक के आरंभ में योजनाबद्ध विकास शुरू किये जाने के समय से ही भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पहुंचा रहा है। सार्क देशों में मालदीव के बाद भूटान की प्रति व्यक्ति आय दूसरे नंबर पर है।
- भारत व भूटान के बीच मुक्त व्यापार समझौता साल 1972 में हुआ था। भूटान भारत से करीब 80 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं का आयात करता है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है उलेखनीय है कि भूटानी मुद्रा Ngultrum (NuA) को आधिकारिक तौर पर भारतीय रुपया (रुपये) से आंका जाता है।

भारत भूटान सम्बन्धो में नई चुनौतियाँ

- भारत व भूटान मजबूत पडोसी देश है। भारत हरसंभव अपने पडोसी देश की मदद करता है। लेकिन अब भूटान जैसा छोटा देश भी दुनिया

में अपनी खुद की पहचान विकसित कर रहा है। भूटान धीरे-धीरे भारत पर निर्भरता कम कर रहा है। भारत-भूटान मैत्री संबंधों का चीन द्वारा विरोध किया जाता है।

- संधि के अनुच्छेद 2 के मुताबिक भारत भूटान के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और बाद में उसके बाहरी संबंधों में सलाह जरूर दे सकता है। वर्तमान में भूटान की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा 'भारत टू भूटान' (बी2बी) पर बल दिया जा रहा है।

समस्या समाधान को लेकर सरकार दवरा उठाए गए कदम

- संबंध को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुखों की लगातार यात्रा को प्रोत्साहित किया गया है
- प्रधानमंत्री ने प्रभावी और नवीकरण द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए बी 2 बी के विचार को 'भारत से भूटान' के रूप में अपनाया है
- भूटान हाल ही में भारत की विदेशी सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया गया है
- रॉयल भूटान सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक 1000 मजबूत भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (आईएमटीआरएटी) पश्चिमी भूटान में स्थायी रूप स्थापित किया गया है, जबकि अन्य इकाइयां नियमित रूप से रॉयल भूटान सेना के साथ सहयोग करती हैं

आगे की राह

- उपरोक्त अध्यन का कुल निचोड़ यह है कि भारत भूटान संबंध 'दूध और पानी' जैसा है इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों देशो के बीच सम्बन्धो को लेकर सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य सराहनीय है लेकिन इस दिशा में कूछ सुझावों को भी अमल में लाया जा सकता है।
- भारत को कुछ जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की जरूरत है जो पर्याप्त धन की कमी के कारण रूकी हुई हैं।
- भारत को क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भूटान और उसके उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। ■

इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि पर उठता विवाद

प्र. 'दुनिया यदि अपने आपको परमाणु हथियारों से मुक्त करने में सफल हो जाती है तो इससे न सिर्फ वैश्विक शांति व सुरक्षा स्थापित होगी बल्कि कई ऐसे संसाधन उभरकर सामने आयेंगे जो सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- आईएनएफ संधि की पृष्ठभूमि
- आईएनएफ संधि पर खतरा क्यों मंडराया?
- इस संधि के विफल होने पर उभरने वाले मुद्दे
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- अमेरिका ने आईएनएफ (इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस) संधि से हटने और नए परमाणु हथियार बनाने की घोषणा करके दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि चूँकि रूस ने मध्यम दूरी की नई मिसाइलें बनाकर इस संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेरिका भी इस समझौते को नहीं मानेगा।

आईएनएफ संधि की पृष्ठभूमि

- सन् 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनॉल्ड रीगन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 'आईएनएफ संधि' (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों नेताओं ने आगे से मध्यम व छोटी दूरी की मिसाइलों का निर्माण न करने का वचन दिया था।

आईएनएफ संधि पर खतरा क्यों मंडराया?

- इस संधि के प्रावधानों के उल्लंघन पर अमेरिका और रूस लम्बे समय से एक-दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं।
- वैश्विक व्यवस्था में कुछ इस तरह के समीकरण उभर रहे हैं कि रूस, चीन व पाकिस्तान धीरे-धीरे एक सूत्र में बंधते जा रहे हैं। अमेरिका इस उभरते हुए गठजोड़ से भी चिंतित है तथा वह इन देशों की शक्ति को क्षीण करने हेतु तरह-तरह की अप्रत्यक्ष नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है।

इस संधि के विफल होने पर उभरने वाले मुद्दे

- यह संधि परमाणु हथियारों के विस्तार व संग्रहण को सीमित करती है। ऐसे में यदि अमेरिका व रूस संधि से किनारा करते हैं तो एक बार फिर परमाणु हथियारों के उत्पादन व संग्रहण आदि की प्रक्रियाएं जोर पकड़ सकती हैं, जिससे सिर्फ मानवता के विनाश का परिणाम अपेक्षित होगा।
- जब दुनिया के बड़े-बड़े देशों के पास परमाणु हथियारों का समृद्ध भण्डार होगा तो वे 'दक्षिण चीन सागर' जैसे वैश्विक विवादों पर और आक्रामक हो सकते हैं जिससे तृतीय विश्वयुद्ध की आशंका और प्रबल होगी।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'आईएनएफ संधि' को लेकर उभरे विवादों को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद जताई है। अतः यूएन की अगुआई में विश्व बिरादरी को अमेरिका और रूस पर दबाव बनाना होगा कि वे दुनिया को दोबारा सर्वनाश के मुहाने तक न ले जाएँ। ■

संकटग्रस्थ जंगली जानवरों पर लिविंग प्लानेट रिपोर्ट

प्र. हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइल्ड फंड (WWF) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 44 सालों में 60% जंगली जानवरों की संख्या कम हुई है। रिपोर्ट के संदर्भ में इसके कारणों तथा सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है रिपोर्ट

- वर्तमान स्थिति
- कारण
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- वर्ल्ड वाइल्ड फंड की लिविंग प्लानेट ऑफ द ग्लोबल फंड फार नेचर नामक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 1914 के बीच कशेरूकी प्राणियों की 60 फीसदी आबादी खत्म हो चुकी है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जैव विविधता की रक्षा और पुर्नस्थापित करने के लिए कार्रवाई को जबरदस्त करना चाहिए।

क्या है रिपोर्ट?

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की यह रिपोर्ट वन्यप्राणी जीवन, समुद्री जीवन, झीलों, पर्यावरण पर व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रभाव को दर्शाती है।
- इस रिपोर्ट में वन्य जीव जंतुओं के लिए उनके प्राकृतिक आवास का समाप्त होना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन आदि से होने वाले खतरों को भी शामिल किया गया है।

वर्तमान स्थिति वैश्विक परिदृश्य में

- वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर पशु पक्षियों का विलुप्त होना शुरू हो गया है। इनमें स्टालर्स सी काऊ, मैसेंजर पिजन, पाइरेनियन आइबेक्स, साइजी व्हाइट डॉल्फिन तथा वेस्ट अलीकन ब्लैक, राइनोसोर आदि शामिल है।
- हाल ही में किए गए वैज्ञानिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सभ्यता की शुरूआत से लेकर अब तक मानव जाति ने दुनियाभर में स्तनधारियों और पौधों की 83 फीसदी से ज्यादा आबादी को नष्ट कर दिया है।

भारत के संदर्भ में

- भारत के पास दुनिया की कुल 6 वन्य जीव प्रजातियों में से 50% है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेडलिस्ट द्वारा 2016 में जारी कए रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की 15 प्रजातियाँ, स्तनधारियों की 12 प्रजातियाँ, सरीसृप और उभयचर की 18 प्रजातियाँ गंभीर रूप से विलुप्त की सूची में शामिल हो गई हैं।

विलुप्ती के कारण

- इन्सानों से खतरा, प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग, घटते जंगल, जलवायु परिवर्तन, आवासों का कम होना, विकास की तीव्र रफ्तार आदि।

सरकारी प्रयास

- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को अपना लिया जो खतरे में आने वाली और दुर्लभ प्रजातियों को किसी प्रकार के व्यापार को रोकता है।
- इसके अलावा गिद्ध संरक्षण परियोजना (2006), सिंह परियोजना (1973), हाथी परियोजना (1970), गैंडा परियोजना (1987) एवं घड़ियाल प्रजनन परियोजना (1975) आदि को लागू किया गया।

आगे की राह

- मानव सभ्यता की शुरूआत से अभी तक 83 फीसदी स्तनधारी जीव और 50 फीसदी पेड़-पौधे खत्म हो चुके हैं। पृथ्वी को दोबारा पहले जैसे बनाने में 50 से 70 लाख साल लगेंगे। अतः जैवविविधता के संरक्षण के लिए पूरी जीवन-पद्धति में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। पशु-पक्षियों के प्राकृतिक निवास को बचाने के लिए जंगलों, नदियों और पहाड़ों का संरक्षण जरूरी है। इस महान कार्य को करने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि गैर सरकारी संगठनों को भी आगे आना होगा जिससे पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों को बचाया जा सके। ■

भारत में भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता

प्र. 21वीं शताब्दी में 'न्यू इंडिया' के समक्ष भीड़ प्रबंधन असफलता एक भयावह रूप ले चुकी है। इस आपदा के कारणों पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार द्वारा इसके प्रबंधन से संबधित उठाये गए कदमों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- आपदा के कारण
- आपदा के लिए जिम्मेदार कौन?
- आपदा से होने वाले नुकसान
- आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- दशहरे की शाम को अमृतसर में हुई रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोगों के असमय मारे जाने से पूरा देश गम में डूब गया। इस घटना से लोगों के स्तब्ध होने की बड़ी वजह यह भी रही कि इसे थोड़ी सी सतर्कता और सजगता से टाला जा सकता था।
- इस दुःख से देश उबरा नहीं कि कोलकाता के संतरागाछी में रेलवे ओवरब्रिज पर हुई भगदड़ में कई लोग मारे गए। यहाँ भी खुद लोगों में अपनी जान को जोखिम में डालने की अधीरता ही दिखी।

आपदा के कारण

- **प्राकृतिक कारणः** भारत जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले देशों में बिजली गिरने से अभी भी काफी मौतें हो रहीं हैं। प्रकृति के कोप से मरने वाले कुल लोगों मे 10 फीसद हिस्सेदारी केवल आकाशीय बिजली या वज्रपात की है। 'नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो' के आँकड़े बताते हैं कि हर वर्ष ढाई हजार से ज्यादा लोग वज्रपात के शिकार हो जाते हैं।
- **अप्राकृतिक कारणः** भारत में सर्वाधिक मात्रा में सड़कें जाने लील रही हैं, अर्थात् लोगों की असमय मौत का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएँ हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो कहता है कि पिछले 12 वर्षों में लगभग 15 लाख लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा है और यह आँकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है।

आपदा के लिए जिम्मेदार कौन?

- निश्चित तौर पर भारत में भीड़ प्रबंधन के लिए संसाधनों के विकास

की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता इस प्रकार की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ सरकार को सौंपती हैं, जिसके लिए सरकार लोगों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लेती है।

आपदा से होने वाले नुकसान

- अप्राकृतिक व लापरवाही से होने वाली मौतों से हर साल बड़े पैमाने पर कार्यशील आबादी का नुकसान हो रहा है। ये वे लोग होते हैं जिनके ऊपर किसी परिवार का पूरा दारोमदार होता है। कमाई के मुख्य जरिए के चले जाने के बाद पूरा परिवार आर्थिक तंगी और बदहाली के मकड़जाल से घिर जाता है।
- भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में मेलों, धार्मिक आयोजनों या किसी अन्य सार्वजनिक जगह में भारी संख्या में भीड़ इकठ्ठा होती है, यदि इस जगह कोई भी चिंगारी जन्म लेती तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं जिनमें महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग और वृद्ध जनों की संख्या काफी अधिक होती है।

आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयास

- ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर निवारण, तैयारी और प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी और पारम्परिक ज्ञान पर आधारित आपद प्रबंधन के उपायों को प्रोत्साहित करना।
- आपदा प्रबंधन को विकास योजना की मुख्य धारा में शामिल करना।
- समर्थकारी नियामक वातावरण और सहमति प्रणाली तैयार करने के लिए संस्थागत और तकनीकी-विधिक ढाँचे स्थापित करना।

आगे की राह

- आपदाएं प्रगति में बाधा डालती हैं तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधी प्रयासों के फल को नष्ट कर देती हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती हैं। अतः आपदाओं के घटित होने पर ही कार्रवाई करने की बजाय उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देना होगा। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद्

हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् (Financial Stability and Development Council – FSDC) की बैठक सम्पन्न हुई। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् का गठन दिसम्बर, 2010 में हुआ था।

इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तन्त्र को सुदृढ़ करना एवं उसे संस्थागत बनाना। विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना तथा वित्तीय प्रक्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना।

बनावट

इस परिषद् के अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री होते हैं। परिषद् के अन्य सदस्य हैं- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव एवं/अथवा आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहाकार, वित्त मंत्रालय- Isch (Securities and Eñchange Board of India) के अध्यक्ष, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। इस परिषद् में सदस्य के रूप में ऋण इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। विगत मई में सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना निर्गत कर परिषद् के एक सदस्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी सम्मिलित कर लिया है क्योंकि दिन-प्रतिदिन डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार का बल बढ़ता ही जा रहा है।

परिषद् का कार्य

अन्य कार्यों के अतिरिक्त यह परिषद् मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता से जुड़े इन विषयों पर विचार करती है- वित्तीय प्रक्षेत्र विकास, नियामकों के बीच समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश, बड़े-बड़े वित्तीय संकुलों (conglomerates) के कार्यकलाप समेत अर्थव्यवस्था का पर्यवेक्षण। परिषद् को अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है।■

2. केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

स्मरण रहे कि तीन वर्ष पहले Missionaries of Charity (MoC) नामक ईसाई संस्था ने अपने आश्रय स्थलों के बच्चों को दत्तक के रूप में देना बंद कर दिया था। अब इस संस्था ने यह निर्णय लिया है कि वह देश की दत्तक के लिए गठित नोडल एजेंसी- केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के साथ समझौता करेगी।

अक्टूबर 2015 में भारत सरकार ने दत्तक ग्रहण के नए नियम बनाये थे जिनमें सभी आश्रय स्थलों को CARA से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था और CARA को देश का एकमात्र ऐसा निकाय घोषित किया था जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को लागू करेगा। तब से मिशनरी ऑफ चौरिटी ने दत्तक ग्रहण का काम बंद कर दिया था और यह अनुरोध किया था कि उसके आश्रय स्थलों की मान्यता समाप्त कर दी जाए। ज्ञातव्य है कि मिशनरी ऑफ चौरिटी एक कैथोलिक धार्मिक

संगठन है जिसकी स्थापना मदर टेरीसा द्वारा 1950 में की गई थी।

CARA क्या है?

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। देशंतारीय दत्तक ग्रहण विषयक 1993 की हेग संधि, जिसे भारत ने 2003 में अंगीकृत किया था, में CARA को ऐसे मामलों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण घोषित किया गया था।

CARA का मुख्य कार्य अनाथ, त्यक्त और समर्पित किये गये बच्चों के दत्तकग्रहण को विनियमित करना है। हेग संधि (Hague Convention) का कार्य बच्चों और उनके परिवारों को विदेश में अवैध, अनियमित,समय-पूर्व अथवा अविचारित दत्तक ग्रहण से रक्षा करना है।

हाल ही में अवैध दत्तकग्रहण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि एक महीने के अन्दर वे सभी बाल देखभाल संस्थानों को पंजीकृत करें और उन्हें CARA से जोड़ दें। ज्ञातव्य है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 में यह प्रावधान है कि बाल देखभाल की सभी संस्थाएँ पंजीकृत की जाएँ और उन्हें CARA से जोड़ दिया जाए।

■

3. सूरत में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन

हाल ही में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन सूरत में हुआ। इस पार्क की अभिकल्पना Gujarat Agro Infrastructure Mega Food Park Pvt. Ltd के द्वारा की गई है। यह पार्क सूरत जिले के मंगरौल तालुका के अंतर्गत शाह और वसरावी गाँवों में स्थित है। इस पार्क से 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आजीविका मिलेगी तथा 25,000 किसानों को लाभ पहुँचेगा।

मेगा फूड पार्क क्या है?

मेगा फूड पार्क योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यवसायियों को एक मंच पर लाकर ऐसी सुविधा देना है जिससे कृषि उत्पादन से लेकर बाजार तक का सम्पर्क सुचारू हो सके। ऐसा करने से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा साथ ही फसल की बर्बादी घटेगी। इसके कारण किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस प्रकार का पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार अधिकतम 50 करोड़ रुपये का अनुदान देती है पर इसके लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जो अलग-थलग होकर एक ही स्थान पर हो। सरकार द्वारा परियोजना की सम्पूर्ण लागत का 50% दिया जाता है।

संचालन प्रक्रिया

यह परियोजना धुरी और तीलियाँ मॉडल पर आधारित है। इसमें खेत के पास एक अवसंरचना तैयार की जाती है जहाँ प्राथमिक प्रसंस्करण तथा भंडारण होगा। इन अवसंरचनाओं को प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (Primary Processing Centres – PPCs) तथा संग्रहण केंद्र (Collection Centres – CCs) का नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त एक केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (Central Processing Centre – CPC) भी होगा।

इन प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों का काम उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित करना होगा जिससे केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (CPCs) को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति होती रहे।

CPC में प्रसंस्करण की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यहाँ पर स्थित इकाइयाँ खाद्य प्रसंस्करण का कार्य करेंगी। इस केंद्र के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। यह योजना माँग के अनुसार चलने वाली योजना है और इसका एक काम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर पर्यावरण, सुरक्षा एवं सामाजिक मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी है। ■

4. केंद्र सरकार ने IMPRESS Scheme Portal की शुरुआत की

देश की प्रगति के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान आवश्यक है और Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS) योजना के तहत समाज द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को समझने और हल करने में मदद मिलेगी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए Indian Council of Social Science and Research (ICSSR) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 तक Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS) योजना के कार्यान्वयन के लिए 414 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

IMPRESS Scheme की मुख्य विशेषताएं-

- Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS) योजना प्रशासन और समाज पर अधिकतम प्रभाव डालने वाले सामाजिक विज्ञान के निधि अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान करेगी।

यह योजना 11 व्यापक विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी-

- राज्य और लोकतंत्र ,शहरीकरण Media, संस्कृति और समाज
- रोजगार, कौशल और ग्रामीण परिवर्तन
- गवर्नेंस, नवाचार और सार्वजनिक नीति, विकास, Macro- trade और आर्थिक नीति
- कृषि और ग्रामीण विकास ,स्वास्थ्य और पर्यावरण ,विज्ञान और शिक्षा
- सोसल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी,राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र
- विशेषज्ञ समूह योजना की अधिसूचना जारी करने और आवेदनों के लिए आग्रह करने से पहले उप-विषय क्षेत्रों का निर्णय लेंगे।
- Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS) योजना ऑनलाइन मोड पर एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना चयन सुनिश्चित करेगी।
- यह योजना देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं को अवसर प्रदान करेगी। IMPRESS योजना में UGC द्वारा प्रदत्त 12(B) status वाले सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों को शामिल किया जाएगा।

IMPRESS Scheme का कार्यान्वयन-

- अक्टूबर 2018, फरवरी 2019, सितंबर 2019 और फरवरी 2020 के महीनों में 4 प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी। परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया प्रस्तावों की घोषणा की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। परियोजना मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ उद्देश्य मानदंडों का उपयोग करके चुने हुए व्यक्ति होंगे। ऑनलाइन पोर्टल परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी में मदद करेगा और परियोजनाओं की प्रगति सीधे परियोजना समन्वयक द्वारा पोर्टल पर update की जाएगी। मार्च 2021 में एक third party परियोजनाओं पर अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। ■

Indian Council of Social Science Research

impress
Impactful Policy Research in Social Science

Government of India
Ministry of Human Resource Development

5. वेब-पोर्टल SPARC योजना

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक वेब-पोर्टल का शुभारम्भ किया है जो SPARC योजना से सम्बंधित है। SPARC का full form है- "Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)"-

SPARC क्या है?

- यह योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2018 में स्वीकृत की गई थी। यह योजना 31/3/2020 तक कार्यान्वित की जानी है और इसमें कुल मिलाकर 418 करोड़ रु की लागत आएगी। SPARC योजना को लागू करने के लिए IIT खड़गपुर को राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान बनाया गया है। इस विषय में विशेष विवरण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
- इस योजना का उद्देश्य है भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अनुसन्धान के वातावरण में सुधार लाना। इसके लिए इस योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न संस्थानों तथा विश्व के उत्कृष्टतम संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं शोध विषयक सहयोग की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों तक 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएँगे जिनमें देश-विदेश के सर्वोत्कृष्ट विद्वान् आपस में ताल-मेल करेंगे। जिन विषयों पर शोध किया जाएगा वे विज्ञान के उन आधुनिकतम विषयों से सम्बंधित होंगे जो मानव समाज के लिए, विशेषकर भारत के लिए, प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं।

योजना का महत्त्व

योजना के कार्यान्वयन से यह आशा की जाती है कि न केवल भारत को अपनी मुख्य राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सहयोग मिलेगा, अपितु भारतीय विद्वान् इन विदेशी विद्वानों के साथ विचार-विमर्श कर पायेंगे। योजना में प्रस्ताव है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्वान् भारत में आकर लम्बे समय तक रहें। योजना के तहत भारतीय छात्रों को विश्व-स्तरीय प्रयोगशालाओं में काम करने तथा शोध में उभयपक्षीय सम्पर्क बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही इससे भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग को सुधारने में सहायता मिलेगी। ■

6. कर्नाटक समृद्धि स्कीम

कर्नाटक की राज्य सरकार ने कुछ समय पहले राज्य में दो नयी सरकारी योजनाओ को लांच किया था पहली योजना उन्नीती और दूसरी एयरवाता थी इन जिसमें राज्य सरकार को अपार सफलता मिली। इसको देखते हुए कर्नाटक में एक और नयी सरकारी योजना को लांच किया है। इस योजना को राज्य के सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली युवाओ के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस नयी सरकारी योजना का नाम समृद्धि योजना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरकार आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए 'उद्योग के स्वामित्व वाले निजी उद्यम' बनाने की योजना बना रही है।
- इस योजना के चलते समृद्धि योजना को सामाजिक रूप से हाशिए वाले समुदायों पर लक्षित किया जाता है ताकि उन्हें कौशल विकास और रोजगार के वैकल्पिक साधन प्रदान किए जा सकें।
- इस योजना को एक अलग आकार देने के लिए उद्योग के स्वामित्व वाले निजी उद्यम बनाने के लिए, राज्य सरकार ने 62 की 30 खुदरा कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए है।
- इतना ही नहीं इस योजना के अंतर्गत, एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली 30 कंपनियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लगभग 25,000 लाभार्थियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है की इस योजना के अंतर्गत, आने वाले तीन वर्षों में 30,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, आने वाले सभी उद्यमी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करेंगे, और राज्य में रोजगार और कौशल विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
- इसके अलावा, इस योजना को अंततः इच्छुक, युवा नागरिकों को ग्रामीण और द्वितीय स्तरीय शहरों से लाभ मिलेगा और टिकाऊ और समस्त दौर के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।
- कर्नाटक की इस समृद्धि योजना के तहत, सरकार युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद अपने स्वयं के फ्रेंचाइजी या खुदरा दुकानों को शुरू करने के लिए बीज अनुदान प्रदान करेगी। ■

7. जलमार्ग पर आजाद भारत की पहली कंटेनर ढुलाई की शुरुआत

देश में अंतर्देशीय जलमार्गो पर मंगलवार से शुरू हो रही आजाद भारत की पहली कंटेनर ढुलाई पेप्सिको की खेप के साथ होगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आइडब्ल्यूएआइ) के अधिकारियों ने कहा कि पेप्सिको कोलकाता से वाराणसी तक एनडब्ल्यू-1 जहाज पर 16 कंटेनर भेजेगी। इनमें 16 ट्रक लोड के बराबर फूड और स्नैक्स होंगे। इसे लेकर एमवी आरएन टैगोर जहाज करीब 9-10 दिनों में वाराणसी पहुंचेगी।

मौके पर जहाजरानी मंत्रालय और आइडब्ल्यूएआइ के वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। जहाज इफको के उर्वरक के साथ वापस लौटेगी, जिसकी खरीदारी प्रयागराज के निकट उसके फूलपुर संयंत्र से होगी।

सरकार जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत हल्दिया से वाराणसी तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) का विकास कर रही है। यह मार्ग 1390 किलोमीटर का होगा। इस पर 5,369 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग कर रहा है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार खत्म कर सकते हैं ट्रंप

वीजा और आव्रजन पर कठोर रवैया अपनाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब जन्म के आधार पर नागरिकता मामले को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि वह यह आदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका में गैर-नागरिकों और शरणार्थियों के बच्चों के लिए जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार खत्म कर दिया जाए। वह अमेरिका में अगले सप्ताह होने वाले मध्यावधि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार आव्रजन और शरणार्थियों के मुद्दे पर कड़ा बयान दे चुके हैं।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, अमेरिकी टीवी चैनल एचबीओ के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि वह अपनी सख्त आव्रजन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

कोर्ट में लड़नी पड़ सकती लंबी लड़ाई

ट्रंप ने हालांकि साफ नहीं किया कि कितनी जल्द वह इस पर कार्रवाई करेंगे। ट्रंप का मानना

है कि शरणार्थी मसले को केंद्र में लाकर वह अपनी सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को उत्साहित करने में सफल होंगे। इससे रिपब्लिकन को संसद में बहुमत बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन केवल कार्यकारी आदेश पारित कर अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार खत्म करना ट्रंप के लिए आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें कोर्ट में लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है।

क्या है अमेरिकी कानून?

अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने के बाद बच्चे को स्वतः ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। दरअसल, इसी में कहा गया है, सभी लोग जो अमेरिका में जन्मे हैं, अमेरिका के नागरिक माने जाएंगे।

भारतीय भी हो सकते हैं प्रभावित

यदि राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं तो इससे भारतीय भी प्रभावित होंगे। दरअसल, भारतीय माता-पिता के जन्मे हजारों बच्चे (इनमें गेस्ट वर्कर वीजा और विजिटर वीजा होल्डर्स के बच्चे भी शामिल हैं) अपने आप हर साल अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। मौजूदा कानून के तहत नवजात के माता-पिता की आवासीय स्थिति को जाने बगैर ही अमेरिका में जन्मा कोई भी बच्चा जन्म से नागरिक मान लिया जाता है। यह बच्चा किसी भी दूसरे अमेरिकी नागरिक को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं को पाने का हकदार बन जाता है। बच्चे के जन्म के बाद अमेरिकी बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है। ■

2. निर्यात सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ ने गठित की समिति

भारत की निर्यात सब्सिडी के खिलाफ अमेरिका की शिकायत की जांच-परख करने के लिये विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान निकाय ने एक समिति का गठन किया है। आपसी बातचीत से इस मुद्दे का हल निकालने में दोनों पक्षों के नाकाम रहने पर कदम उठाया गया है। अमेरिका ने मार्च में निर्यात सब्सिडी को लेकर भारत डब्ल्यूटीओ में घसीटते हुये कहा था कि इन प्रोत्साहनों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। अधिकारी ने कहा, समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समिति के कामकाज करने के प्रक्रिया और समयसारणी को जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने भारत के निर्यात प्रोत्साहन उपायों की जांच के लिये विवाद निपटान समिति गठित करने का आग्रह किया था। डब्ल्यूटीओ के तहत सलाह-मशवरा करके विवाद निपटाने की प्रक्रिया पहला कदम है। यदि दोनों देश परामर्श के जरिये किसी समाधान पर नहीं पहुंचते हैं तो शिकायतकर्ता डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान समिति से मामले की समीक्षा का आग्रह कर सकता है। ■

3. चीन-पाक बस सर्विस पर भारत ने दर्ज कराया विरोध

पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में बस सर्विस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमनें इसे लेकर पाकिस्तान और चीन की सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि तथाकथित चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर में बस सर्विस को लेकर हमने विरोध दर्ज कराया है।

उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा चीन और पाकिस्तान के तथाकथित 1963 बाउंड्री अग्रीमेंट को कभी भी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी बस सर्विस भारत की संप्रभुता और क्षेत्र का उल्लंघन है।

बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चीन और पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में 'चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर' के तहत बस सर्विस शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान मीडिया

के हवाले से यह खबर सामने आई थी। यह बस सर्विस एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा संचालित किए जाने की भी खबर थी। जिसकी लॉन्चिंग 13 नवंबर को होनी थी। यह बस सर्विस लाहौर से चीन के काशगर तक ऑपरेट होने की खबर थी।

खबर में कहा गया था कि 30 घंटे की इस बस सर्विस का किराया 13 हजार रुपये था, जबकि वापसी में यह किराया 23 हजार रुपये था। खबरें यहां तक थी कि कई लोगों ने इस सर्विस के एडवांस बुकिंग भी कराई थी। उल्लेखनीय है पाकिस्तान के ग्वादर से चीन के काशगर तक 50 बिलियन डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपए) की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके जरिए चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। ■

4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग–2018

भारत में कारोबार करने के माहौल में सुधार हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग जारी कर दी है। भारत 23 पायदान उछलकर 100वें से 77वें नंबर पर आ गया है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 100वें नंबर पर था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस सूची में इस साल जीएसटी और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे सुधारों का फायदा सरकार को मिल सकता है। पिछले साल भारत ने इस रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई थी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार की वजह से आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट बढ़ेगा। सरकार अभी रुपए की गिरावट और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से विपक्ष के निशाने पर है। अरुण जेटली ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तब मोदी ने कहा था कि वह भारत को 50वें पायदान तक लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आज हम 77वें पायदान पर हैं। DIPP ने हर पैमाने पर रैंकिंग बढ़ाने के लिए काम किया है।

जेटली ने कहा की 2014 में हम 142वें पायदान पर थे लेकिन एकसमान कंस्ट्रक्शन कानूनों की बदौलत आज हम 65 पायदन उछलकर 77वें पायदान पर आ गए हैं। यह रिकॉर्ड सुधार है। वर्ल्ड बैंक हर साल आसान कारोबार वाले देशों की सूची जारी करता है इसमें कुल 190 देश होते हैं। मोदी सरकार का सपना इस सूची में भारत को टॉप 50 में लाने का है। इस बार रैंकिंग में भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा।

कैसे तय होती है यह रैंकिंग

भारत ने 2003 से अब तक 37 बड़े सुधार लागू किए हैं। पिछले साल इस रिपोर्ट में दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में किसी कारोबार को शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, क्रेडिट मिलना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स देना, विदेशों में ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना और दिवालिया शोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है। ■

5. उत्तर कोरिया ने कहा– फिर शुरू करेंगे परमाणु कार्यक्रम

उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका उसके खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाता है तो वह परमाणु हथियारों को मजबूत करने संबंधी अपनी नीति को फिर से प्रभावी बना सकता है। प्रतिबंधों के प्रयोग और उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने के दबाव के कारण वाशिंगटन और सियोल के बीच तल्खी की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की शाम यह बयान जारी किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि यदि अमेरिका ने अपना रूख नहीं बदला तो उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए अपनी 'प्योंगजिन' नीति को फिर से प्रभावी बना सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को खत्म करने की धमकी दे डाली है।

मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडिज के निदेशक के नाम से जारी इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका को लगता है कि बार-बार प्रतिबंध लगाने और दबाव बढ़ाने से परमाणु निरस्त्रीकरण होगा। हम ऐसे बेवकूफाना

विचार पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। उसका कहना है कि संबंधों में सुधार और प्रतिबंध दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही उत्तर कोरिया के शासक किम ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए हामी भरी थी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कायम होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड् ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस बैठक में उम्मीद से बेहतर नतीजे आए और दोनों देशों ने व्यापक दस्तावेज पर दस्तखत किए। सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। किम जोंग उन ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हम अतीत को भूल कर आगे बढ़ेंगे। खुशी है हम बाधाओं को पार कर मिले। अब दुनिया एक बड़ा बदलाव देखेगी।

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुलाकात को उम्मीद से ज्यादा बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे बीच परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत हुई। ट्रंप ने उम्मीद जताया कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्ते बेहतर होंगे। ट्रंप ने कहा कि आज मुझे पता चला कि किम बहुत टैलेंटेड इंसान हैं। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच सिंगापुर के सैंटोसा आइलैंड के कैपेला रिसॉर्ट में करीब 50 मिनट की मुलाकात हुई। ■

6. नासा का केप्लर स्पेस टेलीस्कोप

नासा का ग्रहों की खोज करने वाला केपलर स्पेस टेलिस्कोप मिशन समाप्त हो गया है। यह दूरबीन नौ साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाला है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2,600 ग्रहों की खोज में मदद करने वाले केपलर दूरबीन का ईंधन खत्म हो गया है इसलिए इसे रिटायर किया जा रहा है।

नासा के अनुसार केप्लर का ईंधन खत्म होने के संकेत करीब दो सप्ताह पहले ही मिले थे। उसका ईंधन पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही वैज्ञानिक उसके पास मौजूद सारा डेटा एकत्र करने में सफल रहे। नासा का कहना है कि फिलहाल केप्लर धरती से दूर सुरक्षित कक्षा में है।

तारों के रहने योग्य क्षेत्र

केपलर ने दिखाया कि रात में आकाश में दिखने वाले 20 से 50 प्रतिशत तारों के सौरमंडल में पृथ्वी के आकार के ग्रह हैं और वे अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित हैं। वर्ष 2009 में स्थापित इस दूरबीन ने अरबों छिपे हुए ग्रहों से अवगत कराया और ब्रह्मांड की समझ को बेहतर बनाया।

यह टेलिस्कोप 9.6 साल अंतरिक्ष में रहा। 5,30,506 तारों का अवलोकन किया। इसमें से 2,663 ग्रहों की पुष्टि की गई।

केप्लर स्पेस टेलीस्कोपः

- केप्लर टेलिस्कोप 06 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया था। इस टेलिस्कोप में उस वक्त के हिसाब से सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया था।
- यह यान अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसन्धान संस्थान, नासा, का एक अंतरिक्ष यान है। इस यान का काम सूरज से अलग किंतु उसी तरह अन्य तारों के इर्द-गिर्द ऐसे गैर-सौरीय ग्रहों को ढूंढना है जो पृथ्वी से मिलते-जुलते हों।

- केप्लर मिशन के अंतर्गत केपलर अंतरिक्ष दूरदर्शी पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों और उनके सौरमण्डल की संभावनाओं का पता लगाता था।
- केप्लर दूरदर्शी ने एक चक्रीय द्विआधारी तारक व्यवस्था की खोज की है। इसके अंतर्गत दो तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और एक उपग्रह इन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस सौर मण्डल का नाम केप्लर-16बी और दोनों तारों के नाम क्रमशः 34बी और 35बी है। ■

7. एच-1 बी वीजाः अमेरिका ने सख्त किए नियम

अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा आवेदन के नियम और सख्त कर दिए हैं जिसके तहत अमेरिकी नियोक्ताओं को यह जानकारी देनी होगी कि उनके यहां कितने विदेशी काम कर रहे हैं। इससे एच-1बी आवेदन की प्रक्रिया सख्त हो जायेगी।

एच-1बी वीजा अस्थायी नौकरी के लिए होता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले विदेशियों को नियुक्त करती है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच खासा लोकप्रिय है।

श्रम विभाग द्वारा मांगी गयी नयी जानकारियां इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एच-1बी वीजा के तहत विदेशी कर्मचारी को रखने से पहले कंपनी को श्रम विभाग से मंजूरी लेने की जरुरत होगी।

विभाग यह सत्यापित करेगा कि इस खास पद के लिए स्थानीय स्तर पर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है और इसलिये कंपनी एच-1बी वीजा श्रेणी के तहत विदेशी कर्मचारी को नियुक्त कर सकती है।

श्रमिक आवेदन फार्म में अब नियोक्ताओं को एच-1 बी से जुड़ी रोजगार शर्तों के बारे में अधिक जानकारी देनी होगी। जिसमें एच-1बी वीजा कर्मचारियों के लिये कहां-कहां रोजगार है, उन्हें कितने समय के लिये रखा जायेगा आदि जानकारी शामिल होगी। नये नियमों के तहत नियोक्ताओं को यह भी बताना होगा कि उसके सभी स्थानों पर कुल कितने विदेशी कर्मचारी पहले से काम रहे हैं। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

सतत विकास लक्ष्यों के निगरानी के लिए समिति

चर्चा का कारण

1.1 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर 2018 को संबद्ध लक्ष्यों के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की गिनरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) (National Indicator Framework: NIF) की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय प्राक्कलन समिति (High Level Steering Committee) के गठन को मंजूरी दे दी है।

1.2 उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद श्री प्रवीण श्रीवास्तव तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव करेंगे। समिति में आंकड़ों से संबंधित मंत्रालय और नीति आयोग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इस समिति का कार्य समय-समय पर संकेतकों में सुधार सहित राष्ट्रीय संकेत ढांचे की समीक्षा करना होगा।

लक्ष्य

2.1 **इस समिति का लक्ष्य** विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रमों और रणनीतिक कार्य योजनाओं में विकास करना तथा आवश्यक उपाय सुझाना है।

2.2 एनआईएफ के सांख्यिकीय संकेतक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीजी की निगरानी की रीढ़ होंगे और विभिन्न एसडीजी के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने वाली नीतियों के परिणामों का वैज्ञानिकों तरीके से मूल्यांकन करेंगे।

2.3 सांख्यिकी संकेतक के आधार पर, एमओएसपीआई एसडीजी के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट लाएगी। यह रिपोर्ट प्रगति के आकलन को सरल बनाने, चुनौतियों की पहचान करने और राष्ट्रीय स्तर पर आगे कार्य करने के लिए सिफारिशें देगी।

2.4 एसडीजी विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों को समाहित कर लिया। इसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

2.5 निकट से और प्रभावी निगरानी के लिए आत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रमुख प्रभाव

3.1 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों के साथ एसडीजी निरंतर, समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा, सभी के लिए अधिक अवसर सृजित करने, असमानता कम करने, रहन-सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणाली के समेकित और निरंतर प्रबंधन महत्वपूर्ण प्रभाव हैं।

3.3 एनआईएफ राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रकृति के बारे में परिणाम आधारित निगरानी और जानकारी देने में मदद करेगी।

3.4 राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के कार्यान्वयन पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि संबद्ध मंत्रालयों को एसडीजी संकेतकों की निगरानी को सरल बनाने के लिए उनकी सांख्यिकी प्रणालियों को फिर से संगठित और मजबूत बनाना होगा।

3.5 उम्मीद है कि एसडीजी लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी से पूरे देश को प्रभावकारी लाभ मिलेगा।

सतत विकास लक्ष्य

4.1 न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर वर्ष 2000 में हुई सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में विकास संबंधी आठ उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) के नाम से जाना जाता है। इसने वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच देशों को उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का अनुसरण करने का खाका तैयार किया। एमडीजी के आठ लक्ष्य है जिसमें विकास के विभिन्न मुद्दों को रखा गया है। एमडीजी के उद्देश्यों को विभिन्न देशों में असमान रूप से हासिल कर लिया गया और यह आवश्यकता महसूस की गई कि इसकी उपयोगिता का आकलन करने और 2015 के बाद विश्व में विकास सहयोग के मार्गदर्शन के लिए संभावित उत्तराधिकारी का पता लगाने के लिए नये सिरे से विचार-विमर्श किया जाए।

4.2 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals {SDGs}) पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

4.3 1 जनवरी, 2016-17 सतत विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। हालांकि कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, एसडीजी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व में और इसमें अगले 15 वर्षों के दौरान देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव लाने की संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि देश स्वामित्व लेंगे और इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करेंगे।

4.4 इसका कार्यान्वयन और सफलता देशों की अपनी निरंतर विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी। देश लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर आगे कार्य करने और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एसडीजी के अंतर्गत प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए गुणवत्ता, पहुंच और समय पर आंकड़ों की जरूरत होगी।

बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम

चर्चा का कारण

1.1 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-दने निषेध अधिनियम (पीबीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal under Prohibition of Benami Property Transactions Act: PBPT) की स्थापना को 24 अक्टूबर 2018 को स्वीकृति दे दी।

1.2 पीबीपीटी अधिनियम के तहत तीन अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णयन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।

1.3 निर्णयन प्राधिकरण, इस प्राधिकरण की खंडपीठों और अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपलब्ध कराये जायेंगे। आयकर विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में समान स्तर/रैंक वाले वर्तमान पदों का प्रयोग अन्यत्र करके यह काम पूरा किया जायेगा।

1.4 निर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटीडी) में ही अवस्थित होंगे। निर्णयन प्राधिकरण की खंडपीठ कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में अवस्थित हो सकती हैं। प्रस्तावित निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद ही इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जायेगी।

क्या है बेनामी लेन देन कानून?

2.1 1988 के पहले यह स्थिति थी कि इस बेनामी संपत्ति का वास्तविक स्वामी वही व्यक्ति माना जाता था, जिसने उस संपत्ति को खरीदने के लिए धनराशि चुकाई हो। लेकिन संपत्ति जिसके नाम दस्तावेजों या रिकार्ड में होती थी वह उसे दस्तावेजों के सहारे से किसी को बेच देता या दान, हस्तांतरण आदि कुछ कर देता तो बाद में इस तरह के विवाद अदालतों में आते थे कि वह संपत्ति तो बेनामी थी और वास्तविक स्वामित्व किसी और का था। इस से निरर्थक विवाद बहुत होते थे।

2.2 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में पहली बार लाया गया था। इनमे कई कमियां थी इसी को ध्यान में रखकर यूपीए-2 सरकार ने संसद में बिल पेश किया था लेकिन 15 वीं लोकसभा के भंग होने के कारण अधिनियम पारित नहीं हो सका था।

2.3 2015 में मौजूदा राजग सरकार ने संशोधित बेनामी लेनदेन विधेयक को संसद में पेश किया। बीते अगस्त में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी। उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संशोधन को हरी झंडी दे दी।

बेनामी लेनदेन के रूप में में शामिल नहीं हैं

3.1 पत्नी, बच्चों, माता-पिता के नाम खरीदी गई संपत्ति और आय के घोषित स्रोत के जरिये चुकाई गई रकम बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं आती।

3.2 भाई, बहन, पत्नी, बच्चों के नाम खरीदी गई ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी गई हो, बेनामी संपत्ति नहीं कहलाती है।

3.3 जिस लेनदेन में एक ट्रस्टी और लाभार्थी शामिल हो। बेनामी संपत्ति नहीं कहलाती है। किसी विश्वासपात्र के नाम खरीदी गई प्रॉपर्टी इसमें ट्रांजैक्शन किसी ट्रस्टी की तरफ से किया गया हो।

बेनामी लेनदेन में शामिल हैं

4.1 लेनदेन जो फर्जी नामों में किया जाता है। जहां व्यक्ति जो संपत्ति के मालिक है स्वामित्व से इनकार करते हैं।

4.2 मतलब, एक प्रॉपर्टी, जिसमें आपका नाम तो है, लेकिन आपने इस खर्च का जिक्र अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया है तो उसे भी बेनामी मान लिया जाएगा।

4.3 इसके अलावा, बेनामी तरीके से की जाने वाली लेनदेन चल या अचल, ठोस या अमूर्त यहां तक कि सोने और वित्तीय प्रतिभूतियों में हुई लेनदेन भी शामिल होगा।

बेनामी लेनदेन विधेयक के तहत प्रस्तावित सजा और जुर्माना

5.1 बेनामी प्रॉपर्टी पाए जाने पर सरकार उसे जब्त कर सकती है। जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे नए प्रावधान के तहत अधिकतम सात साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा हो सकती है।

5.2 प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है। जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उनको प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

5.3 साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को लगता है कि आपके कब्जे की प्रॉपर्टी बेनामी है तो वह आपको नोटिस जारी कर आपसे प्रॉपर्टी के कागजात तलब कर सकता है। इस इस नोटिस के तहत आपको 90 दिन के भीतर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात अधिकारी को दिखाने होंगे।

प्रभाव

6.1 उपर्युक्त मंजूरी मिल जाने से निर्णयन प्राधिकरण को सौंपे गये मामलों का कारगर एवं बेहतर निपटान संभव होगा और इसके साथ ही निर्णयन प्राधिकरण के ऑर्डर के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में की जाने वाली अपील का भी त्वरित निपटान संभव हो पायेगा।

6.2 निर्णयन प्राधिकरण के गठन से पीबीपीटी अधिनियम के तहत की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की प्रथम चरण समीक्षा करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना से पीबीपीटी अधिनियम के तहत निर्णयन प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की समुचित व्यवस्था संभव हो पायेगी।

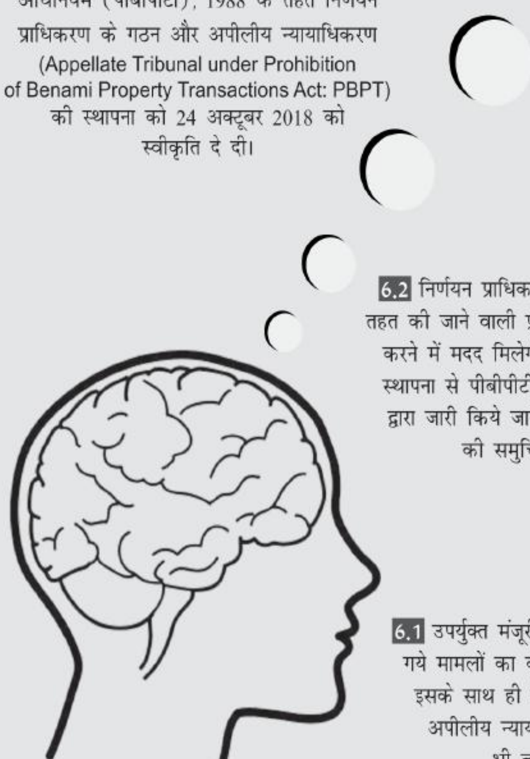

बीएस मानक

चर्चा का कारण

1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने भारत स्टेज – IV के उत्सर्जन मापदंड वाली गाड़ियों के विक्रय और पंजीकरण पर पूरे देश में 1 अप्रैल, 2020 से प्रतिबंध लगा दिया है।

1.2 केंद्र सरकार कार की सुरक्षा को लेकर जो नियम तैयार कर रही है, उन्हें वह 2019 से लागू कर सकती है। परिवहन मंत्रालय ने सभी कार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि 1 जुलाई, 2019 के बाद जिन भी कारों का निर्माण होगा, वे सुरक्षा मानकों पर खरी उतरनी चाहिए।

1.3 सरकार के मुताबिक इस तारीख के बाद बनने वाली कारों में एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड के लिए अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और मैनुअल ऑवरड्राइव जैसे सेफ्टी फीचर का होना जरूरी है।

क्या है?

2.1 BS का full form है – Bharat Stage

2.2 Bharat Stage (BS) कारों के अन्दर प्रयोग होने वाले ईंजन के द्वारा मुक्त किये गये प्रदूषक तत्त्वों के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाया गया मानक है।

2.3 विदित हो कि भारत प्रदूषण के विषय में यूरोपियन (European) प्रदूषण मानकों का अनुसरण करता रहा है पर इस मामले में वह पाँच साल पीछे चल रहा है।

2.4 इसके लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के मानक कड़े हो जाएंगे। बीएस-6 ईंधन वाले वाहनों को नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 68 फीसदी से कम करना होगा। उन्हें पर्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को भी मौजूदा मानक से 5 गुना ज्यादा कम करना होगा

बीएस-4 और बीएस-6 में क्या अंतर है?

3.1 वर्तमान बीएस-4 और नए बीएस-6 मानकों में जो मुख्य अंतर है वह गंधक (sulfur) की मात्रा से सम्बंधित है।

3.2 बीएस-6 प्रमाणित ईंजन 80% कम सल्फर का उत्सर्जन करता है।

3.3 विश्लेषकों का कहना है कि बीएस-6 प्रमाणित ईंजन लगाने से डीजल की गाड़ियों में 70% कम NOx (nitrogen oxides) निकलेगा तथा पेट्रोल की गाड़ियों में 25% कम NOx निकलने की आशा है।

3.4 फिलहाल बीएस-3 मानक वाले वाहनों में 6,71,308 दोपहिया वाहन, 40048 तिपहिया, 96,724 व्यावसायिक वाहन और 16,198 कारें हैं। वर्ष 2010 से मार्च 2017 तक 41 वाहन कंपनियों ने 13 करोड़ बीएस-3 वाहन बनाए हैं। फिलहाल, वाहन कंपनियों के पास ऐसे लाखों वाहन स्टॉक में हैं, जो उनके लिए चिंता का सबब बन सकते हैं।

समस्याएँ

4.1 इस प्रतिबंध का आशय यह हुआ कि अब तेल कंपनियों को बीएस-6 के मानक वाला ईंधन शीघ्र ही तैयार करना होगा। इसमें उन्हें 40,000 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। इतनी जल्दी यह सब संभव हो सकेगा, इसमें संदेह है।

4.2 दूसरी और अधिक बड़ी चुनौती यह है कि गाड़ी निर्माता प्रतिष्ठान क्या 2020 तक अपनी गाड़ियों की डिजाईन बदल सकेंगे? इन प्रतिष्ठानों ने पहले ही कह रखा है कि सीधे बीएस-6 तक पहुंचना कठिन होगा क्योंकि इसके लिए diesel particulate filter और catalytic reduction module में ऐसा बदलाव लाना होगा जो भारत की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हो। ज्ञातव्य है कि भारत में गाड़ियाँ यूरोप तथा अमेरिका की तुलना में बहुत कम गति से चलती हैं।

4.3 भारत में बीएस-6 लागू होने के बाद अभी तक बाजार में आ रहीं बीएस-4 क्षमता के इंजन वाली गाड़ियां बनना बंद हो जाएंगी, वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी तकनीक में सुधार कर बीएस-6 इंजन वाले वाहन बाजार में उतारने होंगे।

4.4 इसके अलावा ऑयल कंपनियों को वर्तमान में मिल रहे ईंधन के बजाय बीएस-6 इंजन में चलने वाला ज्यादा रिफाइंड ऑयल या फ्यूल लाना होगा ताकि कार्बन डाई ऑक्साइड, हाईड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सायड, पार्टिकुलेट मैटर आदि का कम से कम उत्सार्जन हो।

लाभ

5.1 सीएसई के मुताबिक, बीएस-6 फ्यूल से सल्फर की मात्रा बीएस-4 से 5 गुना तक कम होगी। यह काफी क्लीन फ्यूल है। इस फ्यूल के इस्तेमाल से सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों में भी फैल रहा प्रदूषण कम होगा। बीएस-6 गाड़ियों में भी एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम फिट होगा। हालांकि, इसका पूरा लाभ तब मिलेगा, जब गाड़ियां भी पूरी तरह से बीएस-6 टेक्नोलॉजी आधारित तैयार की जाएंगी।

5.2 पीएम 2.5 की वैल्यू 400 एमजीसीएम जाती है तो उसमें 120 एमजीसीएम से ज्यादा का योगदान वाहनों से होने वाले प्रदूषक कणों से होता है। बीएस-6 फ्यूल आने से पर्टिकुलेट मैटर में इनकी 20 से 40 एमजीसीएम तक ही हिस्सेदारी रहेगी।

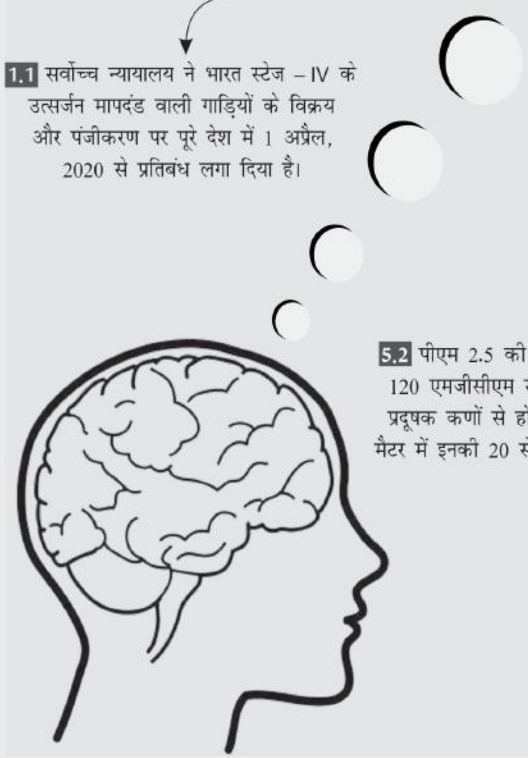

भारत-जापान समझौता

चर्चा का कारण

1.1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 29 अक्टूबर 2018 को हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और जापान ने एक हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों के बीच टू प्लस टू वार्ता करने पर सहमति जताई गई।

1.2 शिखर वार्ता में दोनों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र के हालात सहित विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के बाद कहा, 'हम दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि डिजिटल साझेदारी से लेकर साइबर क्षेत्र, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्र से अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में हम अपनी भागीदारी को मजबूत करेंगे।'

मुख्य बिंदु

2.1 भारत और जापान ने आपस में 75 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था का समझौता किया।

2.2 भारत और जापान के बीच मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ओडीए ऋण की दूसरी किश्त पर समझौता हुआ।

2.3 इसके अलावा आयुष्मान भारत से सम्बंधित स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल साझेदारी, खाद्य प्रसंकरण तथा नौसेनिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते किये गये।

2.4 भारत के आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी) मंत्रालय और कनागावा प्रीफैक्चरल गवर्नमैंट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के दौरान सहयोग पत्र (एम.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर हुए।

2.5 जापान ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने के लिए भी सहमति प्रदान की। जापान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिश का समर्थन किया।

2.6 दोनों नेताओं ने अपने औपचारिक शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के बढ़ते खतरों और उसकी वैश्विक पहुंच पर गहरी चिंता भी प्रकट की।

संयुक्त वक्तव्य

3.1 शिखर वार्ता के बाद जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि तीन अंतर्राष्ट्रीय निर्यात तंत्रों में भारत की पूर्ण सदस्यता के बाद दोनों नेताओं ने वैश्विक अप्रसार परमाणु प्रयासों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। भारत पहले से ही आस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार व्यवस्था और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य है।

समझौते के लाभ

4.1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जापानी समकक्ष शिंजो आबे के मध्य हुए 75 अरब डालर के करंसी स्वैप समझौते से देश के फॉरेन एक्सचेंज और कैपीटल मार्केट में स्थिरता आएगी।

4.2 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस समझौते के बाद भारत जरूरत पडने पर विदेशी पूंजी के इस्तेमाल में सक्षम हो जाएगा और बाजार पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

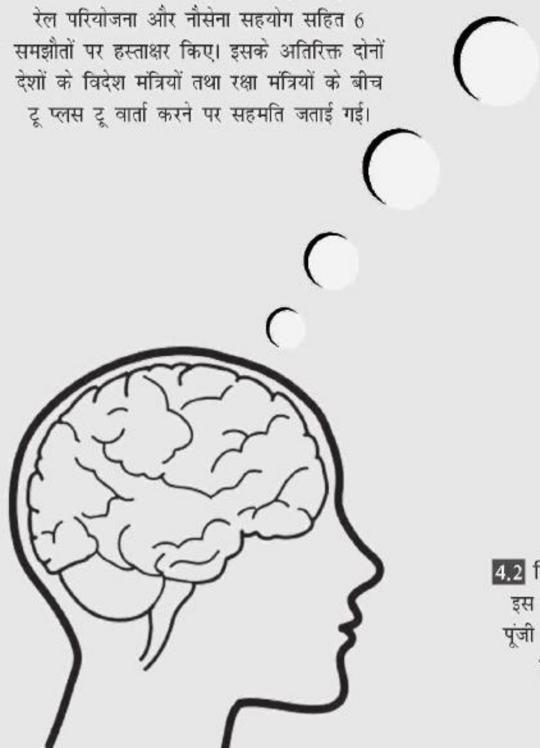

वायु प्रदूषण तथा बच्चों का स्वास्थ्य

चर्चा का कारण

1.1 वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन (WHO) ने भारत में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी कर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर खींची है।

1.2 वर्ष 2016 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण ने एक लाख से ज्यादा बच्चों को सालभर में मार दिया। हर एक लाख में 85 बच्चे हवा में घुली जहर का शिकार हो रहे हैं। हवा में घुले इस जहर का सबसे ज्यादा मार बच्चों के फेफड़ों पर ही होता है।

WHO की रिपोर्ट

2.1 WHO की पिछले साल जारी रिपोर्ट कहती है कि हवा में पीएम 2.5 के आधार पर सबसे अधिक प्रदूषित 20 शहरों में 14 शहर भारत के हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित दस शहर उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें गाजियाबाद में पीएम का स्तर 4.3 है जबकि कानपुर 4.2 पीएम के साथ दूसरे नंबर है।

2.2 इसमें यूपी ग्रेटर नोएडा, बागपत, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा और लखनऊ जैसे शहर भी शामिल हैं। हालांकि टॉप टेन प्रदूषित शहरों में गुड़गांव और दिल्ली का भी नाम है।

प्रभाव

3.1 कुछ साल पहले कोलकाता स्थित चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (सीएनसीआई) ने दिल्ली और एनसीआर के 36 स्कूलों में रिसर्च किया था। इसमें तीन साल तक 4-17 साल की उम्र के बच्चों पर नजर रखी गई। रिसर्च के आंकड़े चौंकाने वाले थे।

3.2 आंकड़ों के मुताबिक- 5718 बच्चों की जांच में 43.5 प्रतिशत बच्चों के फेफड़े या तो खराब हो गए थे या फिर उनकी क्षमता कम हो गई थी। 15 फीसदी बच्चों को अक्सर आंख में जलन, 27.4 प्रतिशत को आए दिन सिरदर्द, 11.2 प्रतिशत बच्चों को उल्टी, 7.2 प्रतिशत बच्चों को बेचैनी और 12.9 फीसदी को अक्सर थकान की शिकायत रहती थी।

3.3 प्रदूषण की वजह से फेफड़ों पर पड़ने वाला असर स्थायी होता है। मतलब इसकी गुंजाइश बहुत कम थी कि फेफड़ों की क्षमता घटने के बाद भविष्य में उसमें पूरी तरह सुधार लाया जा सके।

3.4 सीएनसीआई के इस शोध को प्रदूषण बोर्ड ने कमीशन किया था और उसने तमाम सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट 2010 में सीपीसीबी को सौंप दी। लेकिन उन सुझावों पर अमल करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई।

कारण

4.1 उत्तर भारत के मैदानी इलाके एक तरफ से हिमालय से घिरे हुए हैं। ये लैंड लॉक्ड हिस्सा है। यहां हवा की गति कम हो जाती है। इससे जहरीली हवा बाहर नहीं निकलती। दक्षिण भारत में हवा का प्रवाह तेज रहता है। दोनों तरफ समुद्र होने के कारण हवा में गति रहती है और प्रदूषण का उतना असर देखने को नहीं मिलता।

4.2 उत्तर भारत के गंगा बेसिन में देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी रहती है। यहां ज्यादातर लोग आज भी लकड़ी और गोबर से बने उपलों के जरिए खाना बनाते हैं। इससे काफी प्रदूषण फैलता है।

4.3 नासा के आंकड़ों के मुताबिक, 2005 से 2014 के बीच दक्षिण एशिया में वाहनों, बिजली संयंत्रों और अन्य उद्योगों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकली। इसमें सबसे अधिक बढ़ोत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों में दर्ज की गई। उसी अंतराल में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में काफी इजाफा हुआ। इससे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई।

4.4 सर्दियों से ठीक पहले धान की फसल कटती है। खेतों को साफ करने के लिए किसान पराली (धान कटने के बाद बचा हुआ हिस्सा) जला देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देशभर में करीब 50 करोड़ टन पराली निकलती है। इसमें से करीब 9 टन पराली खेतों में जला दी जाती है। यह चलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलता है।

4.5 रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने से सतह पर ओजोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हमारी सेहत के साथ-साथ खेती के लिए भी खतरनाक है।

4.6 इससे तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने का एक असर यह है कि उत्तर भारत में मानसून से पहले की बारिश ज्यादा होती है और मध्य भारत में सूखा देखने को मिलता है। भारत में किसान खेती के लिए बरसात पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यह भारत के लिए खतरनाक है। नासा ने भी हाल ही में भारत और चीन में एयरोसोल की एक परत की मौजूदगी की पुष्टि की है।

कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

5.1 लंबी अवधि तक प्रदूषण हृदय रोग और कैंसर का कारण बन सकता है। खराब वेंटिलेशन से फेफड़ों के कामकाज में कठिनाई सहित कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।

5.2 प्रदूषण की मार हवा के जरिए हमारे घरों के अंदर तक आती है। घर के अंदर हवा की गुणवत्ता पर कोई पुख्ता नीति नहीं है, जिस कारण इसके वास्तविक प्रभाव को मापना मुश्किल है। घर में सफाई उत्पाद, कार्बनिक यौगिक, धूल, सुगंध और तंबाकू का धुआं भी प्रदूषण पैदा करते हैं। दुनियाभर में हर दस में नौ व्यक्ति घर में वायु प्रदूषण का शिकार हो रहा है।

एनबीएफसी और वित्तीय संकट

चर्चा का कारण

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की आशंका है कि बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सामने नकदी का संकट हो सकता है। यही वजह है कि वह लगातार यह कोशिश कर रहा है कि बैंकों के पास ज्यादा फंड उपलब्ध हों। इस सिलसिले में आरबीआइ ने बैंकों के पास फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नियम में बदलाव किया है।

1.2 एक अक्टूबर से बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को 11 फीसद से बढ़ाकर 13 फीसद कर दिया गया है। यानी बैंक जरूरत पड़ने पर जल्दी से आरबीआइ से ज्यादा राशि बतौर कर्ज हासिल कर सकते हैं।

1.3 अभी तक बैंकों को कुल जमा राशि का 19.5 फीसद सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है लेकिन एक अक्टूबर के बाद से उन्हें 15 फीसद ही निवेश करना होगा। इस तरह से उनके पास ज्यादा राशि बचेगी। इससे बैंक एनबीएफसी को ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। माना जा रहा है कि नकदी की किल्लत के चलते बैंक उन्हें कर्ज देने से बच रहे हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे कहते हैं?

2.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो, इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद (हायर-पर्चेज), बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना, तथा इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना है।

2.2 किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य कारोबार कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ(सी), एक महत्वपूर्ण पहलू जो ध्यान में रखा जाना है, यह है कि धारा 45 आइ(सी) में किए गए उल्लेख के अनुसार ऋण/अग्रिमों से संबंधित गतिविधियां स्वयं की गतिविधि से इतर की गतिविधियां हों।

नबीएफसी बनाम बैंक

3.1 भारत जैसे देश में एक बड़ी आबादी के साथ, यह बैंकों के लिए असंभव है समाज के सभी वर्गों को पूरा करने के लिए कई क्षेत्रों दुर्गम और दूरदराज के हैं। साथ ही, अशिक्षित और गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए, वित्त संस्थान जो बैंकों की समान लाइनों पर काम करते हैं, बैंकों की आवश्यकता है।

3.2 भारत में, इस आवश्यकता को पारंपरिक रूप से एनबीएफसी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पूरा किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एनबीएफसी बैंक नहीं है, हालांकि यह बैंकों के समान कई कार्य करता है।

3.3 एनबीएफसी को भारत सरकार ने बनाया था क्योंकि बैंकों को गरीबों और वंचितों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता महसूस हुई थी, जो बैंकों तक पहुंच नहीं सके थे।

3.4 बैंक के समान कार्य करने में सक्षम होने के लिए एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होना जरूरी है आम तौर पर, एनबीएफसी सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणों और अग्रिमों, शेयरों के अधिग्रहण, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और प्रतिभूतियों के व्यवसाय में लगी हुई हैं। यह किराया-खरीद, पट्टे, बीमा और चिट व्यवसाय में भी शामिल है।

समिति का सुझाव

4.1 समिति ने कहा है, 'बैंकों पर लागू होने वाले अकाउंटिंग नियम एनबीएफसी के लिए भी होने चाहिए।' कार्यसमूह ने कहा है कि ऐसे सभी एनबीएफसी जिनकी परिसंपत्तियां 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, बेशक वे सूचीबद्ध हैं या नहीं, को सेबी के सूचीबद्धता करार की धारा 49 के तहत कंपनी के निदेशक मंडल का गठन करना चाहिए।

4.2 रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक को नए एनबीएफसी के पंजीकरण के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार पर जोर देना चाहिए। 'इससे कम परिसंपत्तियों वाले एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए या फिर उन्हें दो साल के बाद नया पंजीकरण प्रमाणपत्र लेने को कहा जाना चाहिए।'

4.3 समिति ने सुझाव दिया है कि 25 प्रतिशत या अधिक की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी के स्थानांतरण, नियंत्रण में बदलाव, किसी भी पंजीकृत एनबीएफसी का विलय या अधिग्रहण, इसके लिए रिजर्व बैंक की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए।

प्रभाव

5.1 आईएल एंड एफएस के व्यावसायिक बकाया चुकाने में नकाम रहने के कारण पूरे एनबीएफसी के लिए तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

5.2 सीबीएफसी के शेयरों में तेज गति से गिरावट आई है जो लगभग 75,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

5.3 एनबीएफसी संकट को एक बड़े घोटाले के रूप में देखा जा रहा है जिससे निवेशकों के भरोसे में कमी आई है।

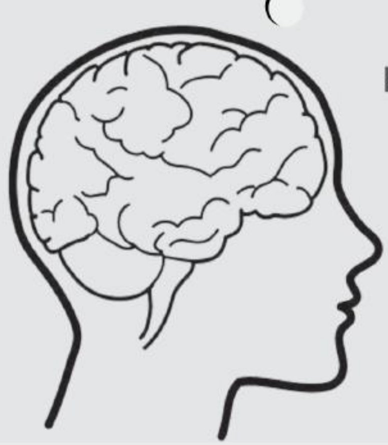

ग्रीन पटाखे

चर्चा का कारण

1.1 दिवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं है लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने का टाइम जरूर निर्धारित कर दिया है।

1.2 अब दिवाली पर केवल रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। लेकिन इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट न 'ग्रीन पटाखों' का जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा था कि त्योहारों पर प्रदूषण कम करने वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जाने चाहिए।

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

2.1 ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50 फीसदी तक कम हानिकारक होती हैं।

2.2 दरअसल ग्रीन पटाखों की खोज भारतीय संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने ही की है, जो प्रदूषण नियंत्रण करने में अहम रोल निभा सकता है।

2.3 इन पटाखों की खासियत ये है कि ये धूल को सोख सकते हैं, साथ ही इन पटाखों से होने वाला उत्सर्जन लेवल भी बेहद कम है, जिससे इनकी आवाज भी कान फोड़ू नहीं है, ये आंखों को सकून देते हैं क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं हानिकारक नहीं होता है।

2.4 इनकी खास बात ये भी है कि इनमें वॉटर मॉलेक्यूल्स यानी पानी के अणु उत्पन्न हो सकते हैं जिससे धूल और खतरनाक तत्वों को कम करने में मदद मिलेगी। ये पटाखे तीन तरह के हैं- सेफ वॉटर रिलीजर (SWAS) सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम (SAFAL) सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR)

2.5 CSIR का दावा है कि ग्रीन पटाखों के जरिए खतरनाक नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ही छोटे-छोटे कणों के उत्सर्जन में भी 30 से 35 प्रतिशत की कमी लायी जा सकेगी।

पेट्रोलियम ऐंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन

3.1 CSIR द्वारा विकसित किए गए पटाखों के इन फॉरमूलों को पेट्रोलियम ऐंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन PESO के पास भेजा जा चुका है और एक बार PESO इसे अप्रूव कर दे उसके बाद इन पटाखों का निर्माण तेजी से किया जा सकेगा ताकि दिवाली के मौके पर पटाखों की डिमांड को पूरा किया जा सके।

पटाखा उत्पादन में दूसरे नंबर पर भारत

4.1 पूरी दुनिया में पटाखों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। तमिलनाडु के शिवकाशी को पटाखा उत्पादन का गढ़ माना जाता है।

4.2 पटाखे हमारे देश में मुगलों के समय से ही जलाए जा रहे हैं। मुगलों के दौर में आतिशबाजी और पटाखे इस्तेमाल होते थे। गन पाउडर बाद में भारत में आया और इसके बाद पटाखों में गन पाउडर का इस्तेमाल होने लगा।

सेहत के लिए हानिकारक हैं पटाखे

5.1 प्रदूषण फैलाने में पटाखों का रोल बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग एक तय समय में बहुत ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं।

5.2 साथ ही पटाखे जलाने वाला व्यक्ति थोड़ी सी जगह में ढेर सारे पटाखे जलाता है जिससे निकलने वाला धुंआ सीधा हमारे शरीर के अंदर जाता है।

5.3 पटाखों से निकलने वाले धुएं की वजह से अक्यूट अस्थमा का अटैक आ सकता है, निमोनिया के मामले बढ़ सकते हैं, फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।

चुनौतियाँ

6.1 पटाखों के निर्माण के बड़े केंद्र तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा निर्माताओं की संस्था का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे।

6.2 तमिलनाडु फायरवर्क्स एसोसिएशन का कहना है कि ग्रीन पटाखों जैसा कुछ नहीं होता। संस्था ने कहा कि हम पटाखों में रसायन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं पर ग्रीन पटाखे कैसे बनेंगे इस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है।

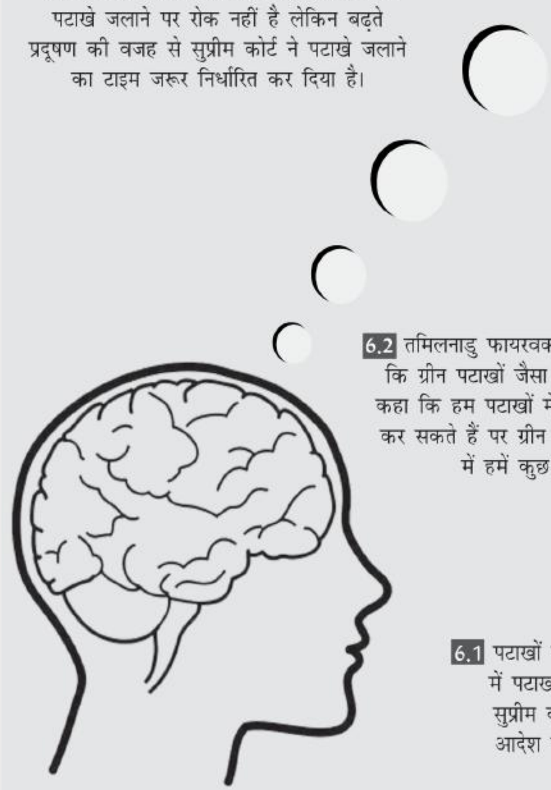

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. सतत विकास लक्ष्यों के निगरानी के लिए समिति

प्र. सतत् विकास लक्ष्य राष्ट्रीय निगरानी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. 24 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसडीजी व राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (NIF) की समीक्षा व उसमें सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय प्राक्कलन समिति के गठन की मंजूरी दी है।
2. उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सूचना आयुक्त करेंगे।
3. सांख्यिकी संकेतक के आधार पर एमओएसपीआई एसडीजी के कार्यान्वियन पर राष्ट्रीय रिपोर्ट लायेगी।
4. एनआईएफ के सांख्यिकी संकेतक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीजी की निगरानी के साथ-साथ एसडीजी के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने की नीतियों के परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करेंगे।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर, 2018 को संबंध लक्ष्यों के साथ सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय प्राक्कलन समिति के गठन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद श्री प्रवीण श्रीवास्तव करेंगे (न कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त)। एसडीजी राष्ट्रीय निगरानी समिति के संदर्भ में अन्य सभी कथन सही हैं। ■

2. बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम

प्र. बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की स्वीकृति दी है।
2. पीबीपीटी अधिनियम के तहत तीन अतिरिक्त खंडपीठों के साथ निर्णयन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी।
3. बेनामी लेन-देन के अंतर्गत पत्नी, बच्चों, माता-पिता के नाम खरीदी गई संपत्ति और आय के घोषित स्रोत के जरिए चुकाई गई रकम बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं आती है।
4. बेनामी लेनदेन के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी, जिसमें आपका नाम तो है, लेकिन आपने इस खर्च का जिक्र अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया है तो उसे भी बेनामी संपत्ति मान लिया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को 24 अक्टूबर, 2018 को स्वीकृति दी है। अतः इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

3. बीएस मानक

प्र. हाल ही में चर्चित भारत स्टेज मानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत स्टेज-IV के उत्सर्जन मापदंड वाली गाड़ियों के विक्रय और पंजीकरण पर पूरे देश में 1 अप्रैल, 2020 से प्रतिबंध लगा दिया है।
2. परिवहन मंत्रालय ने सभी कार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि 1 जुलाई, 2022 के बाद जिन कारों का निर्माण किया जाएगा, वे सुरक्षा मानकों पर खरी उतरनी चाहिए।
3. भारत प्रदूषण के विषय में अमेरिकन प्रदूषण मानकों का अनुसरण करता है।
4. वर्तमान बीएस-4 और बीएस-6 मानकों में जो मुख्य अंतर है वह गंधक की मात्रा से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत स्टेज-IV के उत्सर्जन मापदंड वाली गाड़ियों के विक्रय और पंजीकरण पर पूरे देश में 1 अप्रैल, 2020 से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संदर्भ में परिवहन मंत्रालय ने सभी कार कंपनियों के लिए 1 जुलाई, 2019 के बाद (न कि 1 जुलाई, 2022) जिन कारों का निर्माण किया जाएगा वे सुरक्षा मानकों पर खरी उतरनी चाहिए अतः कथन 2 गलत है। इसी तरह भारत प्रदूषण के विषय में यूरोपियन (न कि अमेरिकन) प्रदूषण मानकों का अनुसरण करता है अतः कथन-3 भी गलत है। इस संदर्भ में अन्य सभी कथन सही है। ■

4. भारत–जापान समझौता

प्र. भारत एवं जापान के मध्य संपन्न समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत-जापान ने एक हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. भारत और जापान के बीच मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना के लिए ओडीए ऋण की दूसरी किश्त पर समझौता हुआ।
3. भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था पर समझौता किया।
4. जापान ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने के लिए भी सहमति प्रदान की।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 29 अक्टूबर, 2018 को संपन्न बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

5. वायु प्रदूषण तथा बच्चों का स्वास्थ्य

प्र. हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने भारत में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 10 शहर उत्तर प्रदेश में है।
2. दुनियाभर में हर 10 में 9 व्यक्ति घर में वायु प्रदूषण का शिकार हो रहा है।
3. रिपोर्ट के अनुसार लंबी अवधि में हृदय रोग और कैंसर के साथ-साथ खराब वेंटिलेशन से फेफड़ों के कामकाज में कठिनाई और कई तरह की बिमारियाँ हो सकती है।
4. रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से एक साल में 1 लाख से अधिक बच्चों की मौत हुई है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) उपर्युक्त सभी (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन (WHO) ने भारत में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी कर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर खींची है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

6. एनबीएफसी और वित्तीय संकट

प्र. एनबीएफसी और वित्तीय संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. एक अक्टूबर से बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात (LCR) को 11 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी कर दिया गया है।
2. अभी तक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 19.5 फीसदी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता था लेकिन एक अक्टूबर के बाद से उन्हें 15 फीसदी ही निवेश करना होगा।
3. एनबीएफसी को भारत सरकार ने बनाया था क्योंकि बैंकों को गरीबों और वंचितों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराने की आवश्यकता महसूस हुई थी, जो बैंकों तक पहुँच नहीं सके थे।
4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की आशंका है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में नकदी का संकट उत्पन्न हो सकता है इसलिए आरबीआई ने बैंकों के पास फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नियम में बदलाव किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।■

7. ग्रीन पटाखे

प्र. ग्रीन पटाखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ग्रनी पटाखें दिखने, जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं लेकिन सामान्य पटाखों की तुलना में 50 फीसदी तक कम हानिकारक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।
2. ग्रीन पटाखों की खोज भारतीय संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने की है।
3. ग्रीन पटाखे तीन तरह के होते हैं- सेफ वाटर रिलीजर (SWAS), सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम (SAFAL), सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR)।
4. CSIR का दावा है कि ग्रीन पटाखों के जरिए खतरनाक नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फरडाइ ऑक्साइड के साथ ही छोटे-छोटे कणों के उत्सर्जन में भी 30-35 प्रतिशत की कमी लायी जा सकेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तरः (c)

व्याख्याः दिवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं है लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय 2 घण्टे (रात 8 से 10) निर्धारित किया है साथ ही शीर्ष न्यायालय यह भी कहा कि त्योहारों पर प्रदूषण कम करने वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जाने चाहिए। इस तरह ग्रीन पटाखों के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' का कौन सा, ग्रहों की खोज करने वाला स्पेस टेलिस्कोप लंबी सेवा के बाद रिटायर होने वाला है?

   - केपलर स्पेस टेलिस्कोप

2. भारत की पहली 'न्याय नगर' (जस्टिस सिटी) का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?

   - अमरावती (आंध्र प्रदेश)

3. किसे हारवर्ड केनेडी स्कूल के 'ग्लैट्स्मैन पुरस्कार-2018' के लिए चुना गया है?

   - मलाला युसूफजई

4. वह 71वां देश जिसने आईएसए (ISA) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है?

   - जापान

5. हिंद महासागर में स्थित अफ्रीकी देश जिसने दुनिया का पहला ब्लूसॉवरेन बॉन्ड लॉन्च किया है?

   - सेशेल्स

6. 'उत्तर-पूर्व ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया?

   - इंफाल (मणिपुर)

7. प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?

   - सरदार बल्लभ भाई पटेल

सात महत्वपूर्ण समितियाँ

1. मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति

- केन्द्र सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन 23 जुलाई, 2018 को किया गया।
- समिति अपनी रिपोर्ट गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह (जीओएम) को सौंपेगी।

2.राजीव ढोलकिया समिति

- केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु समिति का गठन जुलाई, 2018 में किया गया।
- आईआईएम, अहमदाबाद के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रवीन्द्र ढोलकिया समिति के अध्यक्ष बनाए गये।

3. ताजमहल के आस–पास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु समिति

- केन्द्र सरकार ने ताजमहल के आस-पास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक समिति का गठन 16 जुलाई, 2018 को किया है।
- केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन सचिव सी.के. मिश्रा समिति के अध्यक्ष होंगे।
- इसके अलावा समिति में नीरी (NEERI), आईआईटी (IIT) और कई अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं।

4. मेट्रो रेल प्रणाली में मानकीकरण और स्वदेशीकरण हेतु समिति

- केन्द्र सरकार ने मेट्रो रेल में मानकीकरण और स्वदेशीकरण हेतु डॉ. ई श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 26 जून, 2018 को किया।
- समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
- भारत सरकार मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने में वित्तीय समर्थन दे रही है। सरकार एक्विटी तथा गौण बांड और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋणों की गारंटी देकर वित्तीय समर्थन दे रही है।

5. एस.पी. गर्ग समिति

- **न्यायमर्ति एस.पी.गर्ग समिति:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा दिल्ली में पीने योग्य भूजल की उपलब्धता पर कार्ययोजना तैयार करने हेतु न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन सितंबर, 2018 में किया गया।
- जल बोर्ड की तरफ से एनजीटी में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में अभी 1140 एमजीडी (मिलियन गैलेन डेली) पानी की जरूरत है लेकिन सिर्फ 900 एमजीडी नदियों का पानी और 80 एमजीडी भू-जल है। वर्ष 2021 तक दिल्ली में 1380 एमजीडी पानी की जरूरत होगी।

6. वाई.एच. मालेगाम समिति

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों में खराब ऋणों, धोखाधड़ियों के बढ़ते मामलों एवं ऑडिट की निगरानी हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन 20 फरवरी, 2018 को किया गया।
- समिति के अध्यक्ष आरबीआई संेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व सदस्य वाई.एच.मालेगाम हैं।

7. सेज नीति का अध्ययन करने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन

- केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन (SEZ) नीति का अध्ययन करने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन (6 जून, 2018)। 'भारत फोर्ज' के अध्यक्ष बाबा कल्याणी इस समूह के अध्यक्ष बनाए गए।
- सेज नीति 1 अप्रैल 2000 से लागू है। उसके बाद मई 2005 में संसद ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 पारित किया गया और इसे 23 जून 2005 को राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली।
- सेज अधिनियम 2005 को 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया है।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजा आवदेन के नियम और सख्त कर दिया है। इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें?

2. हाल ही में राष्ट्रपति ने कंपनी अधिनियम संशोधन (अध्यादेश), 2018 पर अपनी सहमति दे दी है। यह अध्यादेश कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपराधों की समीक्षा के लिए लाया गया है। इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें?

3. हाल ही में भारत और जापान ने जापानी सहायता ऋण के अंतर्गत एक ऋण-समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के संदर्भ में भारत जापान संबंधों का उल्लेख करें।

4. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना क्या है? यह किसानों के लिए किस प्रकार हितकारी है? वर्णन करें।

5. किसी व्यक्ति के व्यक्तितव विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक अच्छे शिक्षक में आप किस गुण की अपेक्षा करेंगे? उदाहरण के साथ बतायें।

6. ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में इस सिद्धांत का कितना महत्व है? उल्लेख करें।

7. रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। व्याख्या करें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS has been writing success stories for one and a half decades. Once again Dhyeya IAS has scripted new saga of success with 120+ selections.

SHIVANI GOYAL AIR-15
GAURAV KUMAR AIR-34
VISHAL MISHRA AIR-49
AMOL SHRIVASTAVA AIR-83
PRATEEK JAIN AIR-86
SUNNY KUMAR SINGH AIR-91

PRIYANKA BOTHRA AIR-106
SURAJ KUMAR RAI AIR-117
DEEPANSHU KHURANA AIR-120
SAURABH SABHLOK AIR-124
ABHINAV CHOUKSEY AIR-143
ANIRUDH AIR-146
DESHMUKH YATISH VAJIRAO AIR159
SAURABH GUPTA AIR-192
SAI PRANEETH AIR-196

SHUBHAM AGGARWAL AIR-202
HARSH SINGH AIR-244
KATYAYANI BHATIA AIR-246
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-278
SHAKTI MOHAN AWASTHY AIR-296
LAVANYA GUPTA AIR-298
BUDUMAJJI SATYA PRASAD AIR-313
GAURAV GARG AIR-315
SHAIKH SALMAN AIR-339

YOGNIK BHAGEL AIR-340
SAKSHI GARG AIR-350
AMIT KUMAR AIR-361
PUNEET SINGH AIR-383
ANUPAMA ANJALI AIR-386
VIJAY TANEJA AIR-388
NSR REDDY AIR-417
DHEERAJ AGARWAL AIR-423
VIKRANT SAHDEO MORE AIR-430

ADITYA JHA AIR-431
KIRTI GOYAL AIR-432
VIKAS SINGH AIR-438
FURQAN AKHTAR AIR-444
SHIVANI KAPUR AIR-469
P SAINATH AIR-480
JAGPRAVESH AIR-483
POOJA SHOKEEN AIR-516
ASHUTOSH SHUKLA AIR-548

LAKHAN SINGH YADAV AIR-565
VIKAS MEENA AIR-568
MONIKA RANA AIR-577
OMPRAKASH JAT AIR-582
SWAPNIL YADAV AIR-591
CHETAN KUMAR MEENA AIR-594
UTSAHA CHAUDHARY AIR-599
MALYAJ SINGH AIR-601
GANESH TENGALE AIR-614

AKSHAY KUMAR TEMRAWAL AIR-615
DINESH KUMAR AIR-638
VIJAYNDRA R AIR-666
J SONAL AIR-638
SHAHID T KOMATH AIR-693
SHINDE AMIT LAXMAN AIR-705
ANIL KUMAR VERMA AIR-732
NILESH TAMBE AIR-733
ANUPAM JAKHAR AIR-739

RATANDEEP GUPTA AIR-767
JAI KISHAN AIR-768
PANKAJ YADAV AIR-782
SHEERAT FATIMA AIR-810
MANOJ KUMAR RAWAT AIR-824
ARIF KHAN AIR-850
SANDEEP MEENA AIR-852
ABHINAV GOPAL AIR-865
SHIV SINGH MEENA AIR-909

& many more...

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

THE JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH THE FIRST STEP

Comprehensive All India

IAS PRELIMS TEST SERIES PROGRAMME - 2019
(OFFLINE & ONLINE)

Reshape Your Prelims Strategy with us.

कार्यक्रम विवरण

कुल टेस्ट 31

18th Nov. to 19th May, 2019

GS-25, CSAT-6

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रश्नों की बदलती प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार सिविल सेवा प्रतियोगियों को उनके अध्ययन की रणनीति एवं स्रोत को पुन: आकार देने की आवश्यकता है। अत: हमारा प्रयास प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को प्रारंभिक परीक्षा के प्रति विस्तृत करना है।
- इस उद्देश्य हेतु हमारा मुख्य केन्द्र बिन्दु इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक, सरकारी वेबसाइटें, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट एवं समसामयिक मुद्दों पर होगा।
- टेस्ट सीरीज यूपीएससी की परीक्षा के समरूप होगी।
- टेस्ट सीरीज में प्रतियोगियों को अधिक संख्या में सम्मिलित विद्यार्थियों के कारण उचित प्रतियोगी वातावरण प्राप्त होगा, क्योंकि यह अखिल भारतीय स्तर पर एवं हमारे सभी केन्द्रों पर आयोजित होगी।
- चूंकि अब सीसैट पेपर-II के अंक मूल्यांकन में नहीं जोड़े जाते बल्कि केवल इसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है अत: हमने आवश्यकता के अनुरूप 6 सीसैट टेस्ट को संपूर्ण सामान्य अध्ययन टेस्ट के साथ कराने की योजना बनायी है।
- परीक्षण पुस्तिका 4 सेटों A, B, C एवं D में एवं मुद्रित प्रारूप में होगी।
- प्रत्येक टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर प्रदान किये जायेंगे।
- परीक्षण पुस्तिका एवं व्याख्यात्मक उत्तर दोनों को यूपीएससी के अनुरूप द्विभाषी प्रारूप में निर्मित किया जायेगा।
- OMR को अखिल भारतीय रैंकिंग के अनुसार मूल्यांकित किया जायेगा।

शुल्क विवरण

OFFLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 5000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 7000/-

ONLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 3000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 5000/-

मेधावी छात्रों हेतु आकर्षक अवसर

सामान्य अध्ययन मेरिट परीक्षा

4th NOVEMBER
12:00- 2:00 PM

100 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100% नि:शुल्क

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 011-49274400 | 9205274741, RAJENDRA NAGAR : 011-41251555 | 9205274743, LAXMI NAGAR : 011-43012556 | 9205212500, ALLAHABAD : 0532-2260189 | 8853467068, LUCKNOW : 0522-4025825 | 9506256789, GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY : 9205336037 | 9205336038 BHUBANESWAR : 08599071555

Live Streaming Centres

BIHAR - PATNA 9334100961, CHANDIGARH - 8146199399, DELHI & NCR - FARIDABAD 9711394350, 01294054621, GUJRAT - AHMEDABAD 9879113469, HARYANA - HISAR 9996887708, KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR - 9050888338, MADHYA PRADESH - GWALIOR - 9907553215, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA - 9926207755, 7662408099, PUNJAB - JALANDHAR 9888777887, PATIALA 9041030070, LUDHIANA 9876218943, RAJASTHAN - JODHPUR 9928965998, UTRAKHAND - HALDWANI 7060172525, UTTAR PRADESH - ALIGARH - 9837877879, 9412175550 BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570090003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

Dhyeya IAS Now on WhatsApp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9355174440.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400